

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से डाक विभाग, बस्ती मंडल, बस्ती के डाकघर अधीक्षक कार्यालय द्वारा दो वर्षों के लिए प्रतिष्ठित फर्मों/ट्रांसपोर्टर्स/बोलीदाताओं से वाणिज्यिक वाहन किराये पर लेकर अनुबंध के आधार पर डाक परिवहन के लिए दो बोली प्रणाली में ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा की सामान्य शर्तें, निविदा प्रस्तुत करने की विधि, अर्नेस्ट मनी/प्रदर्शन सुरक्षा जमा की राशि का उल्लेख अनुलग्नक-I में किया गया है। जिस मेल मोटर लाइन पर अनुबंधित मेल मोटर चलाने का प्रस्ताव है, उसका विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है, जो विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर भिन्न हो सकता है। निविदा प्रस्तुत करने का प्रारूप तकनीकी बोली के लिए अनुलग्नक-III और वाणिज्यिक बोली के लिए अनुलग्नक-IV, अनुबंध के लिए अनुलग्नक-V और अनुबंध-पूर्व सत्यनिष्ठा संधि के लिए अनुलग्नक-VI में दिया गया है। दोनों बोलियों को गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (<https://gem.gov.in>) की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड किया जाना है। बोली की अनुसूची निम्नानुसार दी गई है: -

2. निविदा की अनुसूची: -

बोली संख्या	कैश वैन लाइन सिद्धार्थनगर एचओ
बोली प्रस्तुत करने का तरीका	केवल ऑनलाइन मोड
बोली की अनुमानित लागत राशि	रु. 1232826/- (बारह लाख बत्तीस हजार आठ सौ छब्बीस रुपये मात्र)
जीईएम पोर्टल पर बोली अपलोड करने की तिथि	20.07.2026
बोलीदाताओं द्वारा बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि और समय	12.08.2026 09:00hrs
बयाना राशि जमा	24657/- (चौबीस हजार छ सौ सत्तावन रुपये मात्र) (निविदा मूल्य का 2%)
ई-तकनीकी बोली खोलने की तिथि और समय	12.08.2026 09:30 hrs
बोली दस्तावेज की लागत	शून्य
स्थान	कार्यालय अधीक्षक डाकघर, बस्ती मण्डल बस्ती – 272001
बोली-पूर्व सम्मेलन की तिथि और समय	03.08.2026 & 1000 hrs
आवश्यक वाहनों की संख्या और अवधि	01 (एक) वाहन और 02 (दो) वर्षों के लिए

3. बोलीदाता द्वारा निविदा की प्रतिक्रिया 12.08.2026 को या उससे पहले 0900hrs बजे ऑनलाइन जमा किया जाना चाहिए। तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव दोनों के लिए अपने डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र का उपयोग करके <https://gem.gov.in> पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में आवेदन करना होगा। संबंधित दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड किया जाना चाहिए। तकनीकी ई-बोली के साथ उनकी स्कैन की गई प्रतियां भी अपलोड की जानी चाहिए।

4. यदि कोई भी बोलीदाता ईएमडी के लिए डिमांड ड्राफ्ट/बीमा जमानत बांड को दिनांक 12.08.2026 को 09:00 बजे तक डाकघर अधीक्षक, बस्ती मंडल, बस्ती के कार्यालय में भौतिक रूप से जमा करने में विफल रहता है, तो उसकी बोली स्वीकार नहीं की जाएगी।

5. किसी भी कारण से ऑनलाइन जमा करने में देरी के लिए डाक विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। इसके लिए बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे पूरी बोली पहले ही अपलोड कर दें।

6. खरीद करने वाली संस्था बोली प्रक्रिया को रद्द करने और किसी या सभी ई बोलियों को अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रखती है।

7. तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं को वित्तीय बोली खोलने की तिथि, समय की सूचना दी जाएगी।

8. निविदा की प्रति <https://gem.gov.in> से प्राप्त की जा सकती है।

9. इलेक्ट्रॉनिक या ऑनलाइन प्रारूप के अलावा किसी भी माध्यम/विधि से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

अनुलग्नक-1

वाणिज्यिक पेट्रोल/डीजल/सीएनजी वाहनों को किराये पर लेकर डाक परिवहन के लिए अनुबंध की शर्तें

इच्छुक पक्षों को निम्नलिखित शर्तों पर स्वयं वाहन उपलब्ध कराने में सक्षम होना चाहिए:

1. चार पहिया मोटर वाहन जो तीन वर्ष से अधिक पुराने न हों, अर्थात वाहन जुलाई 2023 को या उसके बाद पंजीकृत होने चाहिए और उनकी भार वहन क्षमता 1000 (एक हजार) किलोग्राम से कम और 2499 (दो हजार चार सौ निम्नानवे) किलोग्राम से अधिक न हो, जिसमें एक डाक अधिकारी के यात्रा करने के लिए बैठने की व्यवस्था हो। आवश्यकता पड़ने पर 3-4 सशस्त्र गार्ड एस्कॉर्ट्स के यात्रा करने के लिए बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। सफल बोलीदाता को निविदा देने के 30 दिनों के भीतर वाहन की बॉडी को जलरोधी धातु की चादरों से पूरी तरह ढकवाना होगा तथा वाहन के पिछले डिब्बे में लॉकिंग व्यवस्था के साथ दरवाजे लगवाने होंगे।
2. वाहन किराये पर लेने की दर प्रति किलोमीटर की दर तथा एक माह (25 दिन) में तय की गई दूरी के आधार पर कुल 24 महीनों के लिए उद्धृत की जानी चाहिए। रिपोर्टिंग के स्थान से रिलीज के स्थान तक की दूरी की गणना की जानी है। पेट्रोल/डीजल से चलने वाले वाहनों की दरें अलग से दी जानी हैं।
- 2.1 निविदा का अनुमानित मूल्य रु. 12,32,826/- (बारह लाख बत्तीस हजार आठ सौ छब्बीस रुपये मात्र)
3. वाहन समझौते पर हस्ताक्षर करने की तिथि से दिए गए समय सारिणी के अनुसार बस्ती डाक मंडल में सिद्धार्थनगर प्रधान डाकघर के अंतर्गत आने वाले उप डाकघरों के भीतर चलेंगे, जिसमें समझौते के खंड 17 के प्रावधानों तथा अनुलग्नक-11 में दिए गए विवरण लागू होंगे, जो विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर भिन्न हो सकते हैं।

बयाना राशि:

4. बोली सुरक्षा (ईएमडी):

- (i) बोली सुरक्षा रु. 24657/- (चौबीस हजार छ सौ सत्तावन रुपये मात्र) (निविदा मूल्य का 2%) अधीक्षक डाकघर बस्ती के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/बीमा जमानत बांड के रूप में होगी तथा मूल डिमांड ड्राफ्ट/बीमा जमानत बांड को 12.08.2026 0900 बजे तक अधीक्षक डाकघर बस्ती संभाग बस्ती के कार्यालय में भौतिक रूप से जमा करना होगा। स्कैन की गई प्रति को अपनी निविदाओं की तकनीकी ई-बोली के साथ अपलोड करना होगा। बोली सुरक्षा अंतिम बोली वैधता अवधि से परे 45 दिनों की अवधि के लिए वैध रहेगी। यदि कंपनी बोली सुरक्षा से छूट चाहती है, तो उन्हें एनएसआईसी को संबंधित मंत्रालय या विभाग का वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और ई-तकनीकी बोली के साथ स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी होगी।
- (ii) किसी भी पिछले अनुबंध के संबंध में विभाग द्वारा आयोजित किसी भी पिछली जमा बोली सुरक्षा या किसी भी लंबित बिलों के भुगतान के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (iii) बोलीदाता को अपना प्रस्ताव वापस लेने या उसके नियमों और शर्तों को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि बोलीदाता यहां की गई शर्तों का पालन करने में विफल रहता है या दरें उद्धृत करने के बाद पीछे हट जाता है, तो बोली सुरक्षा राशि की उपरोक्त राशि सरकार द्वारा जब्त कर ली जाएगी।
- (iv) बोली सुरक्षा के बिना निविदाओं को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

- (v) बोली प्रतिभूति या निष्पादन प्रतिभूति की राशि पर ब्याज या मूल्य हास के सम्बन्ध में सरकार/विभाग के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जाएगा।
5. निष्पादन प्रतिभूति:
सफल बोली दाता को निविदा की स्वीकृति की तिथि से 7 दिनों के अन्दर डाक विभाग के पक्ष में दिए गए ठेके की कुल राशि के 3% के बराबर राशि का डिमांड ड्राफ्ट/बीमा प्रतिभूति बांड/नकद यूसीआर के अन्तर्गत किसी भी डाकघर में निष्पादन प्रतिभूति जमा के रूप में जमा करना होगा तथा इसकी मूल रसीद डाक अधीक्षक, बस्ती मण्डल, बस्ती को प्रस्तुत करनी होगी। प्रतिभूति जमा राशि को केन्द्र सरकार के विभाग या डाक विभाग द्वारा धारित किसी भी पूर्व ठेके के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार के उल्लंघन या लापरवाही या ठेके की किसी शर्त को स्वीकार न करने या असंतोषजनक निष्पादन या कार्य आदेश को स्वीकार न करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा निष्पादन प्रतिभूति जमा राशि जब्त की जा सकती है। अनुबंध की समाप्ति पर, फर्म को किए गए किसी भी गलत या अधिक भुगतान की वसूली के लिए डाक विभाग द्वारा विचार किए जाने वाले उक्त निष्पादन सुरक्षा जमा का ऐसा हिस्सा रख लिया जाएगा और शेष राशि वापस कर दी जाएगी।
6. ऑनलाइन निविदा दो लिफाफों में प्रस्तुत की जानी चाहिए, एक में तकनीकी बोली (अनुलग्नक-III में दिए गए प्रपत्र में) के साथ डिमांड ड्राफ्ट की स्कैन की गई प्रति और प्रस्तुत किए जाने वाले अन्य दस्तावेज होंगे और दूसरे में बीओक्यू (मूल्य बोली) (अनुलग्नक IV में दिए गए प्रपत्र में) होगा। निविदा के प्रपत्र और समय-सारिणी की एक प्रति जिसमें अनुबंध की अन्य शर्तों और शर्तों के साथ-साथ आवश्यक सेवा के अन्य विवरण और जिस प्रपत्र में बोलीदाता को समझौते को निष्पादित करने की आवश्यकता होगी, वेबसाइट <https://gem.gov.in> से प्राप्त की जा सकती है। ई-निविदाएं <https://gem.gov.in> पर 12.08.2026 0900 बजे तक जमा की जानी चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक निविदाएं 12.08.2026 को 0930 बजे डाकघर अधीक्षक बस्ती मंडल बस्ती के कार्यालय में खोली जाएंगी। ई-तकनीकी बोलियों को खोलने के समय उपस्थित रहने के इच्छुक बोलीदाताओं की उपस्थिति में तकनीकी बोली के साथ, बोलीदाता को भारत सरकार द्वारा निर्धारित पूर्व-अनुबंध अखंडता संधि प्रस्तुत करनी होगी (अनुलग्नक-VI)। अखंडता संधि के बिना प्रस्तुत की गई बोली पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 6.1 बोलीदाता का पिछले दो वित्तीय वर्षों का वार्षिक कारोबार 19 लाख रुपये से अधिक होना चाहिए। बोलीदाता को ई-तकनीकी बोलियों के साथ पिछले दो वित्तीय वर्षों (जैसे 2023-24 और 2024-25) के आयकर रिटर्न या ऑडिटेड बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाते की स्कैन की गई प्रतियां प्रस्तुत करनी चाहिए।
7. सक्षम प्राधिकारी बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
8. वाहनों का मेक और मॉडल अलग से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। पंजीकरण प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र और बीमा की स्कैन की गई प्रतियां ई-तकनीकी बोली के साथ अपलोड की जानी चाहिए। सभी वाहनों के पास यूपी सर्किल के क्षेत्र में चलने के लिए वैध रोड परमिट होना चाहिए।
9. सफल बोलीदाता को वांछित संख्या में वाहन उपलब्ध कराने होंगे।
10. बोलीदाता को कम से कम एक सरकारी संगठन/पीएसयू/एक प्रमुख निजी क्षेत्र की इकाई को किराए पर वाहन उपलब्ध कराने का अनुभव होना चाहिए।
11. वाहन सप्ताह में 7 दिन डाक विभाग के अधीन होंगे।
12. अनुबंध शुल्क में चालक का मासिक शुल्क, वाहन की मरम्मत और रखरखाव, बीमा, पेट्रोल/डीजल/सीएनजी, तेल और कोई अन्य आकस्मिक व्यय शामिल हैं।
13. किसी दुर्घटना की स्थिति में, उससे उत्पन्न होने वाले सभी दावों का भुगतान बोलीदाता द्वारा किया जाएगा।

14. वाहन को साफ-सुथरा और पूरी तरह चालू हालत में रखा जाएगा।

15. यदि वाहन खराब हो जाता है, तो बोलीदाता को तुरंत एक वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। यदि वाहन समय पर नहीं आता है/बिल्कुल भी नहीं आता है, तो विभाग को बाजार से वाहन किराए पर लेने का अधिकार होगा और विभाग द्वारा वहन की गई अतिरिक्त लागत बोलीदाता द्वारा वहन की जाएगी।

16. समर्पित वाहन अधिमानतः जीपीएस सक्षम होना चाहिए। सफल बोलीदाता की जिम्मेदारी होगी कि वह जीपीएस सक्षम स्थापित करवाए तथा निम्नलिखित विनिर्देश के अनुसार संगत सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराए: -

A) सामान्य आवश्यकता: -

- i) एक ही मानचित्र पर एकाधिक वाहनों के डिजिटल/सैटेलाइट मानचित्र पर मेल मोटर वाहन के वास्तविक स्थान को देखने में सक्षम ऑनलाइन तथा वास्तविक समय ट्रैकिंग और निगरानी। (निविदाकर्ताओं के पास विभाग को डिजिटल/सैटेलाइट मानचित्र की निरंतर पहुंच प्रदान करने के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था होनी चाहिए।)
- ii) वास्तविक समय के आधार पर वाहन की स्थिति के बारे में नियंत्रण कक्ष को जानकारी प्रदान करने के लिए वेब सक्षम समाधान।
- iii) डिजिटल/सैटेलाइट मानचित्र पर डाकघरों के स्थान की भूमि चिह्नांकन।
- iv) वाहनों और नियंत्रण कक्ष के बीच वास्तविक समय दो-तरफ़ा संचार (यह सुविधा विभाग के विवेक पर वैकल्पिक है।)
- v) सॉफ्टवेयर को आवश्यकतानुसार विभाग के यातायात प्रबंधन सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत करने में सक्षम होना चाहिए।

vi) अनुकूलित एमआईएस विकसित करना।

B) उपकरण का न्यूनतम तकनीकी पैरामीटर: -

- i) जीएसएम/जीपीआरएस मॉडेम।
- ii) आवश्यक सॉफ्टवेयर के साथ किसी भी पीसी से निगरानी करने में सक्षम होना चाहिए।
- iii) इंटरनेट से सीधे निगरानी और ऑनलाइन डेटा डाउनलोड करने की क्षमता।
- iv) न्यूनतम 90 दिनों के लिए डेटा भंडारण क्षमता।
- v) कीपैड - विस्तार योग्य।
- vi) वॉयस कम्युनिकेशन और मिस कॉल इंडिकेटर।
- vii) 1000 लोकेशन का डेटा स्टोर करने के लिए बिल्ट इन मेमोरी जिसे 04 जीबी मेमोरी डेटा तक बढ़ाया जा सकता है।
- viii) छेड़छाड़ प्रूफ - पावर डिस्कनेक्शन अलर्ट।
- ix) बिल्ट इन जीपीएस ओडोमीटर।
- x) पावर सर्ज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से सुरक्षा।
- xi) बैकअप बैटरी कम से कम 04 घंटे।
- xii) चोरी या अपहरण के समय वाहन की गति को रोकने के लिए इकाइयों में रिमोट वाहन स्थिरीकरण होना चाहिए।
- xiii) भंडारण तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से + 75 डिग्री सेल्सियस।
- xiv) यूनिट में एसओएस अलर्ट, छेड़छाड़ अलर्ट, मुख्य बिजली तार वियोग अलर्ट/कम बैटरी अलर्ट होना चाहिए।
- xv) दुरुपयोग से बचाने के लिए सिम पिन (इलेक्ट्रॉनिक) लॉकिंग सिस्टम।
- xvi) इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों के लिए अवांछित कॉल बैरिंग सुविधा।
- xvii) यूनिट में संभावित गलत संचालन या सौंपे गए आइटमों में बाधा से बचने के लिए GSM/GPS हाई गेन एक्टिव एंटीना इनबिल्ट होना चाहिए।

xviii) यूनिट में कम से कम 12 चैनल GPS एंटीना रिसीवर होना चाहिए।

c) सॉफ्टवेयर विनिर्देश और रिपोर्ट: -

जीपीएस सिस्टम के सॉफ्टवेयर को एक अनुकूलित समाधान प्रदान करना चाहिए जो विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट और एमआईएस उत्पन्न करता है जिसमें अनिवार्य रूप से निम्नलिखित कार्यात्मकताएं शामिल हैं:

- i) मेल शेड्यूल के साथ-साथ वाहन की आवाजाही सहित एक व्यापक गतिविधि रिपोर्ट।
- ii) वाहनों की स्टॉपेज रिपोर्ट जो विभिन्न कार्यालयों में वाहनों के वास्तविक ठहराव या रोके जाने को दर्शाएगी। विभिन्न समय पर मेल शेड्यूल के एक से अधिक टच प्रदान किए गए कार्यालयों को रिपोर्ट में दिखाया जाना चाहिए।
- iii) यात्राओं के लिए वाहन की गति रिपोर्ट।
- iv) ओवर-स्पीड और ओवर-स्टॉपेज रिपोर्ट।
- v) कुल दूरी रिपोर्ट।
- vi) डाकघरों / रेलवे मेल सेवा कार्यालयों / ट्रांजिट मेल कार्यालयों आदि की भूमि को डिजिटल मानचित्र पर चिह्नित करना आवश्यक है, ताकि वाहनों के रुकने, कार्यालयों के बीच आवागमन आदि का सटीक पता लगाया जा सके।
- vii) वाहन ट्रैकिंग रिपोर्ट में चालक का नाम, वाहन पंजीकरण संख्या, अनुसूची संख्या / नाम, समय आदि प्रदर्शित करने के लिए डेटा दर्ज करने का प्रावधान किया जाना चाहिए।
- viii) जीपीएस वेब सक्षम सॉफ्टवेयर में विभाग द्वारा प्रदान किए गए सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत करने की इंटरलॉक क्षमता होनी चाहिए।
- ix) सॉफ्टवेयर को विभिन्न कार्यालयों में वाहन रोके जाने की रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए, जिसमें तिथिवार अनुसूची नाम / संख्या, पीओ / आरएमएस / टीएमओ का नाम, आगमन प्रस्थान, वास्तविक आगमन, प्रस्थान, रोके जाने का कार्यक्रम दर्शाया गया हो और चालक लॉग-शीट आदि तैयार की गई हो। पीओ / आरएमएस कार्यालयों के पास से गुजरने वाले वाहनों को कार्यालयों में उपस्थित नहीं दिखाया जाना चाहिए।
- x) दुर्घटना/ब्रेक डाउन आदि की स्थिति में सॉफ्टवेयर में उसी शेड्यूल पर वैकल्पिक वाहन स्वीकार करने का प्रावधान होना चाहिए।
- xi) वाहन पंजीकरण, चालक का नाम, पिछली और वर्तमान स्थिति, वास्तविक समय के साथ निर्धारित संचालन पर वाहनों की आवाजाही की निगरानी के लिए सर्व इंजन का प्रावधान किया जाना चाहिए।
- xii) संपादन सुविधा के साथ इस सॉफ्टवेयर में एमएमएस और शेड्यूल के वाहन बेड़े के प्रबंधन के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए।
- xiii) रूट उल्लंघन रिपोर्ट
- xiv) शेड्यूल स्थिति को सक्षम करने के लिए एसएमएस प्रावधान
- xv) जीआईएस जीपीएस एक उपयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए जो आवश्यकतानुसार वेब-सेवाओं के माध्यम से सीएसआई अनुप्रयोगों को आवश्यक जानकारी साझा करने में सक्षम हो।
- xvi) न्यूनतम 90 दिनों के लिए इतिहास का पता लगाने में सक्षम सॉफ्टवेयर।
- xvii) पता स्तर, डाक कोड स्तर और क्षेत्र/राज्य स्तर पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए स्थानों के सबसे सटीक स्तर पर एक्स और वाई जियो-समन्वय डेटा कैचर।
- xviii) सॉफ्टवेयर को जियो रूटिंग आवश्यकता पर रिपोर्ट भी तैयार करनी चाहिए जैसे –
 - क) स्थान के पते के स्तर पर दो स्थानों के बीच की दूरी और अवधि।
 - ख) जीपीएस जीआईएस के साथ साझा किए गए स्थानों के आधार पर सबसे छोटा मार्ग निर्धारण।
 - ग) विभिन्न स्थानों/स्टॉपों के बीच मार्ग निर्धारण और दूरी और यातायात की स्थिति के आधार पर सर्वोत्तम मार्ग का चयन।
 - घ) नए स्थानों को जोड़ने की स्थिति में पुनः रूटिंग कार्यक्षमता और दूरी और यातायात की स्थिति के आधार पर सर्वोत्तम मार्ग का चयन।
 - ङ) टूटे-फूटे वाहनों के निकटतम वाहन की पहचान।
 - च) एमएमएस वाहनों के टूटने की स्थिति में, निकटतम एमएमएस वाहनों के बारे में जानकारी जीआईएस जीपीएस सॉफ्टवेयर से उपलब्ध होगी।

सिस्टम स्थापित होने के बाद विभाग वास्तविक आवश्यकता के आधार पर रिपोर्ट या आवश्यक रिपोर्ट की संख्या को बदलने/संशोधित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

17. चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और वाहन केंद्र/राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ पंजीकृत होना चाहिए। इस आशय का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाना चाहिए। प्रदान किए गए वाहन

के चालकों को समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित यातायात नियमों और अन्य विनियमों का पालन करना चाहिए।

18. विभाग और परिवहन ऑपरेटरों के बीच अनुबंध को अनुबंध के किसी भी पक्ष द्वारा कम से कम 60 दिनों की पूर्व सूचना के साथ रद्द किया जा सकता है।
19. यदि कोई वाहन किसी भी दिन यहां निर्धारित नियमों और शर्तों को पूरा करने में विफल रहता है, तो प्रति वाहन प्रति दिन * रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि, नियमों और शर्तों के लगातार उल्लंघन के मामले में, अनुबंध को बिना किसी सूचना के तुरंत रद्द किया जा सकता है। किसी भी यात्रा के पूरा न होने या पूर्व में दी गई समय सारणी के अनुसार किसी भी यात्रा के पूरा होने में देरी होने की स्थिति में और किसी भी स्थान पर कोई डाक वस्तु या मेल बैग वितरित करने या लेने में विफल रहने, यात्रा की अनुसूची में निर्धारित कार्यालयों को कुशल सेवा बनाए रखने में विफल रहने की स्थिति में, बोलीदाता नीचे उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

क्र.सं.	कारण	राशि
1	किसी भी यात्रा को पूरा करने में विफलता	रु. 15 प्रति किमी
2	किसी भी यात्रा को पूरा करने में देरी, एक घंटे से अधिक नहीं	रु. 8 प्रति किमी
3	किसी भी यात्रा को पूरा करने में देरी, एक घंटे से अधिक नहीं और दो घंटे से अधिक नहीं	रु. 10 प्रति किमी
4	किसी भी यात्रा को पूरा करने में देरी, दो घंटे से अधिक नहीं और तीन घंटे से अधिक नहीं	रु. 11 प्रति किमी
5	किसी भी यात्रा को पूरा करने में देरी, तीन घंटे से अधिक नहीं	रु. 11.50 प्रति बैग
6	किसी भी स्टेशन पर किसी भी डाक वस्तु या मेल बैग को वितरित करने या लेने में विफलता	रु. 5 प्रति बैग
7	किसी भी स्टेशन पर डाक सामग्री या मेल बैग की डिलीवरी या उठाने में देरी - पहला दिन दूसरा दिन प्रत्येक आगामी दिन के लिए	5 रुपये प्रति बैग 6 रुपये प्रति बैग 7 रुपये प्रति बैग
8	किसी भी मध्यवर्ती स्टेशन पर आवश्यकता पड़ने पर न रुकने पर	रु. 50 प्रति स्टेशन

हमेशा यह प्रावधान है कि बोलीदाता इस खंड के अंतर्गत किसी भी ऐसी चूक, विलंब या विफलता के लिए कोई राशि देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जैसा कि पहले वर्णित है, यदि और जहां तक ऐसा हुआ है, तो जिला बोर्ड, लोक निर्माण विभाग या पुलिस द्वारा डाक ले जाने वाले मोटर वाहनों के लिए सड़क बंद करने, सेना या भीड़ या अन्य अप्रतिरोध्य बल या लूट या डकैती या दैवीय कृत्य के कारण हुआ है, लेकिन यह तथ्य कि सड़क का कोई भाग वाहनों के आवागमन के लिए अगम्य हो सकता है, बोलीदाता को अनुबंध के तहत उसकी देनदारियों से मुक्त नहीं करेगा और ऐसे मामले में, इसमें पहले निहित किसी भी बात के बावजूद, वह सरकार को अतिरिक्त लागत के बिना, डाक वस्तुओं और मेल बैगों को मजदूरों या अन्य साधनों द्वारा ले जाने की व्यवस्था करेगा, जहां सड़क वाहनों के आवागमन के लिए अगम्य है और वहां से इसमें पहले दिए गए तरीके से।

इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि बोलीदाता की पूर्वोक्त राशियों का भुगतान करने की देयताएं सरकार के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना हैं, जिसके तहत सरकार को ऐसे चूक के परिणामस्वरूप किसी भी व्यय की प्रतिपूर्ति की जानी है और उसके संबंध में अन्य अधिकार।

इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि यदि बोलीदाता एक महीने के भीतर तीन बार ऐसी चूक करता है या कुशल मोटर वाहन सेवा को बनाए रखने में या किसी भी शर्त को पूरा करने और उसका पालन करने में विफल रहता है, इसमें निहित करारों और शर्तों (जिसके बारे में उक्त सर्किल प्रमुख का निर्णय अंतिम होगा) या यदि बोलीदाता दिवालिया हो जाता है या यदि कोई कंपनी खंड 10 में दिए गए प्रावधान के अलावा स्वैच्छिक या अनिवार्य रूप से बंद हो जाती है, तो जिस प्राधिकारी ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं, वह लिखित नोटिस द्वारा, किसी अन्य उपाय के अतिरिक्त या उसके बदले में भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुबंध को समाप्त करने का निर्णय लिए जाने के पश्चात अनुबंध को तत्काल समाप्त कर सकता है, तथा प्रतिभूति के पूरे या उसके किसी भाग को जब्त घोषित कर सकता है।

इसके अतिरिक्त यह भी प्रावधान है कि इस खंड के तीसरे प्रावधान के अंतर्गत अनुबंध समाप्त किए जाने की स्थिति में, उक्त सर्किल प्रमुख, इसके अतिरिक्त, अपने विकल्प पर, बोलीदाता द्वारा उपयोग किए गए सभी या किसी वाहन को चार अंग्रेजी कैलेंडर महीनों से अधिक अवधि के लिए अपने अधिकार में ले सकता है और उपयोग कर सकता है, तथा बोलीदाता को ऐसे उपयोग के लिए पोस्टमास्टर जनरल, बस्ती क्षेत्र बस्ती द्वारा निर्धारित कोई उचित राशि का भुगतान करेगा, जो ऐसी अवधि के दौरान वाहनों को हुए सभी नुकसानों और हानियों या अन्यथा को कवर करेगी।

बशर्ते कि यदि अनुबंध पूर्वोक्त रूप से समाप्त किया जा सकता है, तो सरकार अपने विवेकानुसार अनुबंध को समाप्त कर सकती है या अनुबंध को समाप्त किए बिना सभी सुरक्षा राशि जब्त कर सकती है। लेकिन अनुबंध की ऐसी कोई समाप्ति या पूर्वोक्त रूप से सुरक्षा राशि जब्त किए जाने से सरकार के हर विफलता या चूक के संबंध में सभी अन्य उपायों के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और विशेष रूप से सरकार को हुई हानि या क्षति की पूरी राशि वसूलने के सरकार के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, भले ही राशि जब्त की गई राशि से अधिक हो और इस प्रकार जब्त की गई सुरक्षा राशि को किसी ऐसी हानि या क्षति की पूर्ति के लिए लिया जा सकता है या नहीं भी लिया जा सकता है।

20. ड्यूटी करते समय चालक को साफ-सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, उचित वर्दी पहननी चाहिए और उसके पास चालू हालत में मोबाइल फोन होना चाहिए, जिसके लिए विभाग द्वारा कोई अलग से भुगतान नहीं किया जाएगा।
21. परिवहन संचालक और चालक विभाग के साथ-साथ वाहन को सौंपे गए अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।
22. प्रत्येक वाहन के लिए समय और माइलेज दर्शाने वाला दैनिक रिकॉर्ड लॉगबुक में रखा जाएगा।
23. समर्पित वाहन और चालक उपलब्ध कराए जाने चाहिए तथा केवल असाधारण परिस्थितियों में ही परिवर्तन की अनुमति होगी। वाहन किसी भी दिन किसी भी समय उपलब्ध होना चाहिए, जैसा कि संबंधित अधिकारी चाहें।
24. अनुबंध दिए जाने की स्थिति में तथा अनुबंध के निष्पादन से पूर्व, बोलीदाता को किराए पर दिए जा रहे वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्र तथा व्यापक बीमा पॉलिसियों की प्रतियां तथा प्रत्येक वाहन के लिए समर्पित चालकों की फोटो सहित विवरण प्रस्तुत करना होगा। उसे भौतिक सत्यापन/निरीक्षण के लिए डाकघर अधीक्षक, बस्ती मंडल, बस्ती के कार्यालय में वाहन प्रस्तुत करना होगा।
25. अनुबंध पर हस्ताक्षर की तिथि से दो वर्ष के लिए प्रभावी होगा, जब तक कि खंड संख्या 18 एवं 19 के अनुसार इसे पहले समाप्त न कर दिया जाए। संतोषजनक निष्पादन के अधीन, पारस्परिक सहमति के अनुसार अनुबंध को एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।

26. भुगतान की शर्तें :-

- (i) बोलीदाता को ऐसी सेवाओं के संबंध में आगामी कैलेंडर माह की 15 तारीख को या उससे पहले बिल प्रस्तुत करना होगा, जिसमें गणना का विवरण, पूर्ण विवरण और उसके समर्थन में दस्तावेज दर्शाए जाएंगे। मासिक पारिश्रमिक बोलीदाता(ओं) को बिल प्रस्तुत करने के 30 दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा।
- (ii) कोई भी भुगतान अग्रिम रूप से नहीं किया जाएगा और न ही कार्य सौंपे जाने के आदेश के आधार पर किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से कोई ऋण लेने की सिफारिश की जाएगी।
- (iii) सभी भुगतान केवल चेक द्वारा किए जाएंगे।

- (iv) डाक विभाग को खंड 18 के अनुसार दंड की वसूली के अधीन किसी भी भुगतान को पूर्ण या आंशिक रूप से रोकने की स्वतंत्रता होगी।
- (v) इस पैरा में उल्लिखित शब्द "भुगतान" में अनुबंध के अलग-अलग खंडों द्वारा शासित बोली सुरक्षा और प्रदर्शन सुरक्षा को छोड़कर इस अनुबंध के कारण फर्म को देय सभी प्रकार के भुगतान शामिल हैं।
- (vi) भुगतान के समय प्रचलित दरों और निर्देशों के अनुसार भुगतान करने से पहले सभी बिलों से टीडीएस और अन्य करों की वसूली की जाएगी।

27. इस करार या इसकी विषय-वस्तु या इस करार के अधीन या इसके संबंध में पक्षों के संबंधित अधिकार, कर्तव्य या दायित्व से संबंधित या किसी भी तरह से उत्पन्न होने वाले सभी विवाद, मतभेद और प्रश्न (उस निर्णय को छोड़कर जिसके लिए इसके पूर्व अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है) मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, यूपी सर्किल द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति की एकमात्र मध्यस्थता के लिए भेजे जाएंगे, या यदि उसका पदनाम बदल दिया जाता है या उसका कार्यालय समाप्त कर दिया जाता है, तो उस अधिकारी द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति की एकमात्र मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा, जिसे अन्य कार्यों के अतिरिक्त या नहीं, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल के कार्य सौंपे गए हैं, चाहे ऐसे अधिकारी को किसी भी पदनाम से बुलाया जाए (इसके बाद 'उक्त अधिकारी' के रूप में संदर्भित)। ऐसी किसी भी नियुक्ति पर कोई आपत्ति नहीं होगी कि नियुक्त व्यक्ति एक सरकारी सेवक है, कि उसे उन मामलों से निपटना था जिनसे यह करार संबंधित है और कि ऐसे सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के दौरान उसने विवाद या मतभेद के सभी या किसी भी मामले पर विचार व्यक्त किए थे। ऐसे मध्यस्थ का निर्णय अंतिम होगा तथा इस समझौते के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा। इस समझौते की यह शर्त है कि यदि ऐसे मध्यस्थ, जिसके पास मामला मूल रूप से भेजा गया है, का स्थानांतरण हो जाता है या वह अपना पद छोड़ देता है या किसी कारणवश कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, तो मुख्य पोस्टमास्टर जनरल या उक्त अधिकारी इस समझौते की शर्तों के अनुसार मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करेगा। ऐसे व्यक्ति संदर्भ को उसी चरण से आगे बढ़ाने के हकदार होंगे, जिस पर उसके पूर्ववर्ती ने उसे छोड़ा था।

मध्यस्थ समय-समय पर, पक्षों की सहमति से, निर्णय देने तथा उसे प्रकाशित करने के लिए समय बढ़ा सकता है। जैसा कि पूर्वोक्त है, भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 इस खंड के अंतर्गत मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होगा।

जैसा कि पूर्वोक्त है, प्रत्येक संदर्भ पर संदर्भ तथा निर्णय से संबंधित लागतों का आकलन क्रमशः एकमात्र मध्यस्थ के विवेक पर होगा। मध्यस्थता कार्यवाही का स्थान लखनऊ स्थित मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय या ऐसा कोई अन्य स्थान होगा जिसे एकमात्र मध्यस्थ तय करे।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

अधीक्षक डाकघर
बस्ती मंडल, बस्ती -272001

अनुलग्नक-II

सिद्धार्थनगर प्रधान डाकघर के अंतर्गत आने वाले डाकघरों के बीच चलाए जाने वाले कैश वैन का शेड्यूल।
(विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)

.....

1. दैनिक संचालन निश्चित किलोमीटर (लगभग 100 किलोमीटर प्रतिदिन) पर आधारित नहीं है बल्कि सिद्धार्थनगर प्रधान डाकघर के अंतर्गत डाकघरों द्वारा नकदी की आवश्यकता और मांग पर आधारित है।

अधीक्षक डाकघर
बस्ती मंडल बस्ती 272001

अनुलग्नक-III

कैश वैन अनुबंध हेतु निविदा प्रपत्र
(तकनीकी बोली)

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति
अधीक्षक के माध्यम से,
बस्ती मंडल बस्ती - 272001

जेम पोर्टल (<https://gem.gov.in>) में प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में, मैं, नीचे दी गई शर्तों के अधीन, दो वर्ष की अवधि के लिए विनिर्देशों के अनुसार मोटर वाहन द्वारा एक/दो डाक अधिकारियों के साथ मेल/कैश के परिवहन के लिए निम्नलिखित तकनीकी बोली प्रस्तुत करता हूँ।

2. बोली सुरक्षा के संबंध में डिमांड ड्राफ्ट/बीमा जमानत बांड का विवरण: -

3. मेरे द्वारा पेश किए गए वाहनों का विवरण इस प्रकार है: -

(i)	वाहन का प्रकार (तीन पहिया/चार पहिया)	
(ii)	वाहन का मेक और मॉडल	
(iii)	निर्माण का वर्ष	
(iv)	पंजीकरण संख्या/तारीख	
(v)	प्रयुक्त ईंधन का प्रकार	
(vi)	वाहन की फिटनेस/सड़क योग्यता और बीमा वैधता।	

4. मैं मौजूदा ग्राहक(ओं) का नाम (यदि कोई हो) (सूची संलग्न) प्रदान करने के लिए सहमत हूँ।

5. मैं सहमत हूँ कि मेरी ई-तकनीकी बोली पर विचार किए जाने की स्थिति में, मैं मांग किए जाने पर, निर्धारित विनिर्देश के वाहन का निरीक्षण और इस आशय की सूचना प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर लाइन पर सेवा चलाने के लिए जिला/नगर अधिकारियों से परमिट प्रस्तुत करूंगा।

6. उपर्युक्त के अतिरिक्त, मैं आपातकालीन स्थिति में उपयोग किए जाने हेतु 02 (दो) अतिरिक्त वाहन रखने के लिए सहमत हूँ। मैं वाहन को अच्छी कार्यशील स्थिति में उपलब्ध कराने के लिए सहमत हूँ।

7. मैं मोटर वाहन को उक्त अनुसूची में निर्धारित समय के अनुसार चलाने के लिए सहमत हूँ।

8. यदि अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी समय यह पाया जाता है कि यात्राओं की अनुसूची में परिवर्तन (या अतिरिक्त यात्राओं का आदेश दिए जाने) के कारण औसत मासिक माइलेज खंड 5 में उल्लिखित मासिक माइलेज से अधिक या कम है, तो मैं मासिक पारिश्रमिक में, जैसा भी मामला हो, आनुपातिक वृद्धि या कमी को स्वीकार करने या अनुमति देने के लिए सहमत हूँ, जो अनुबंध में सहमत दर/किमी के आधार पर गणना की जाएगी।

9. मैं एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय के बीच परिवहन के लिए मुझे सौंपे गए डाक आदि की सुरक्षित अभिरक्षा और डिलीवरी के लिए दायित्व और जिम्मेदारी लेता हूँ और मेरे द्वारा उनके परिवहन के दौरान किसी बैग/वस्तु के खो जाने के कारण डाक विभाग को हुए नुकसान की भरपाई करता हूँ।

10. मैं अनुबंध में दिए गए प्रावधानों के अलावा किसी विशेष सुविधा, जैसे गैरेज या टेलीफोन कनेक्शन आदि के लिए मुफ्त आवास आदि का दावा नहीं करूंगा।
11. मैं अपने अनुबंधित वाहनों में यात्रा करने के लिए डाक के प्रभारी डाक अधिकारियों को निःशुल्क ले जाने के लिए सहमत हूं।
12. मैं डाक स्टेशनरी को डाक के भाग के रूप में, तथा डाक स्टॉक डिपो या ऐसे कार्यालयों द्वारा भेजे जाने वाले स्टोर डिस्पैच को, जहां ऐसे फॉर्म और स्टोर मुद्रित या संग्रहीत किए जाते हैं, डाकघरों, रेलवे और स्टीमर स्टेशनों तथा रेलवे मेल सेवा कार्यालयों में, जिनका नाम अनुबंध में संलग्न अनुसूची में है, तथा ऐसे अन्य स्थानों पर ले जाने के लिए सहमत हूं, जहां मुख्य पोस्टमास्टर जनरल/पोस्टमास्टर जनरल/निदेशक डाक सेवाएं/अधीक्षक डाकघर/रेलवे मेल सेवा के अधीक्षक/पोस्टमास्टर द्वारा अपेक्षित हो, तथा इस हेतु किसी अतिरिक्त पारिश्रमिक का दावा नहीं करूंगा।
13. मैं बोली सुरक्षा के रूप में रू.(रू.) का डीडी/बीमा जमानत बांड/बैंकर्स चेक/पी.ओ. एसीजी-67 रसीद (अनुबंध के अनुमानित कुल मूल्य के 2% के बराबर राशि) प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि मैं अपनी निविदा वापस लेता हूं या इसकी स्वीकृति की स्थिति में अनुबंध निष्पादित करने में तथा खंड 13 और 15 में उल्लिखित जमा राशि जमा करने में विफल रहता हूं, तो उक्त राशि सरकार द्वारा जब्त कर ली जाएगी। मैं इस राशि पर ब्याज का दावा नहीं करूंगा, जब तक यह आपकी अभिरक्षा में है। यदि मेरी निविदा स्वीकार नहीं की जाती है तो उपरोक्त राशि मुझे 30 दिनों के भीतर वापस कर दी जाएगी। मैं यह भी सहमत हूं कि यदि मेरी निविदा स्वीकार कर ली जाती है, और मैं दिनांक (निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी द्वारा निर्धारित) तक अनुबंधित सेवा शुरू करने में विफल रहता हूं, तो मेरी बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी और मेरी निविदा और अनुबंध को शून्य माना जाएगा, और भारत सरकार पर मेरा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं होगा।
14. मैं इस अनुबंध को पंजीकृत कराने और उससे संबंधित सभी व्ययों को वहन करने के लिए सहमत हूं, जिसमें स्टॉप आदि का प्रभार शामिल है।
15. मैं इस बात से सहमत हूं कि यदि यह निविदा स्वीकार कर ली जाती है, तो अनुबंध के कुल मूल्य के 3% (तीन प्रतिशत) के बराबर सुरक्षा जमा निम्नलिखित में से किसी एक रूप में प्रस्तुत करूंगा-
 - (क) डाकघर प्रमाण पत्र जारी मूल्य पर अनुमेय सीमा तक को हस्तांतरित।
 - (ख) डाकघर बचत बैंकों में स्वीकार्य सीमा तक जमा की गई राशि तथा भारत के राष्ट्रपति को गिरवी रखी गई राशि तथा शेष राशि, यदि कोई हो, उपरोक्त (क) प्रपत्र में।
 - (ग) बैंक गारंटी (उच्च मूल्य के अनुबंध के लिए) या डीडी या बीमा जमानत बांड। इस निविदा के स्वीकृत होने के सात दिनों के भीतर।
16. मैं सहमत हूं कि जिस प्राधिकारी को मैंने निविदा प्रस्तुत की है या जो प्राधिकारी मेरे द्वारा निविदा प्रस्तुत करने के पश्चात इसे अंतिम रूप से स्वीकार करने में सक्षम है, उसके साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई बातचीत करने का प्रयास नहीं करूंगा या किसी वास्तविक संभावित निविदा के लिए कोई हित सुरक्षित करने का कोई प्रयास नहीं करूंगा या किसी भी तरह से किसी विशेष निविदा की स्वीकृति को प्रभावित नहीं करूंगा। मैं सहमत हूं कि यदि मैं ऐसा कोई प्रयास करता हूं, तो यह मेरी निविदा को विचार से बाहर कर देगा।

17. यदि मेरी उपरोक्त निविदा स्वीकार की जाती है, तो मैं निविदा की स्वीकृति के दो सप्ताह के भीतर 100/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एक समझौता करने और अनुबंध के कुल मूल्य के 3% के बराबर सुरक्षा राशि जमा करने के लिए सहमत हूँ।
18. मैंने निविदा की सभी शर्तें पढ़ ली हैं और मैं उनसे सहमत हूँ।

स्थान: _____

(हस्ताक्षर) _____

दिनांक: _____

बोलीदाता का नाम _____

बोलीदाता का पता _____

बोलीदाता की मुहर

अनुलग्नक-IV

निविदा दस्तावेज बीओक्यू (मूल्य बोली) का प्रारूप

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति

डाकघर अधीक्षक के माध्यम से

बस्ती मंडल बस्ती- 272001

निविदा आमंत्रण प्राधिकारी: डाकघर अधीक्षक, बस्ती मंडल, बस्ती- 272001

कार्य की प्रकृति: संविदात्मक कैश वैन सेवा

अनुबंध संख्या: - जी/MMC/CASH/SIDDHARTHANAGAR HO/2025

बोलीदाता का नाम और उसका पैन नंबर:

कार्यों की अनुसूची (इस बीओक्यू टेम्पलेट को बोलीदाता द्वारा संशोधित/प्रतिस्थापित नहीं किया जाना चाहिए और इसे संबंधित कॉलम भरने के बाद अपलोड किया जाना चाहिए, अन्यथा बोलीदाता को इस निविदा के लिए अस्वीकार कर दिया जाएगा। बोलीदाताओं को केवल बोलीदाता का नाम और मूल्य दर्ज करने की अनुमति है)

क्र०सं०	कार्य का विवरण	सं.	प्रति किलोमीटर दर	प्रति माह (25 दिन) 25 दिनों में तय की गई कुल दूरी के लिए दर	24 महीनों के लिए कुल राशि शब्दों और अंकों में
01.	निविदा दस्तावेज के अनुसार अनुबंध के आधार पर कैश(सिद्धार्थनगर प्र.डा.केअंतर्गत आने वाले डाकघरों के परिवहन के लिए कैश वैन	1.00			
कुल राशि अंकों में					
कुल राशि शब्दों में					

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और हस्ताक्षर

अनुलग्नक - V

अनुबंध

बोलीदाताओं द्वारा मोटर वाहनों द्वारा डाक के परिवहन के लिए निष्पादित किया जाना है, जिसका उपयोग विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए किया जाएगा

यह अनुबंध के दिन के बीच किया गया है

(a) भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 के तहत गठित और पंजीकृत एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय पर है (इसके बाद बोलीदाता कहा जाएगा, जिसमें संदर्भ उनके उत्तराधिकारियों और अनुमत असाइन को शामिल करेगा)।

(ख) का पुत्र, जो के नाम और शैली के अंतर्गत के शहर में व्यवसाय कर रहा है (जिसे इसके बाद बोलीदाता कहा जाएगा, जिसमें जहां संदर्भ ऐसा स्वीकार करता है, उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि या अनुमत असाइन शामिल होंगे):

(ग) के नाम और शैली के अंतर्गत के शहर में के फर्म के अंतर्गत साझेदारी में व्यवसाय कर रहा है (जिसे इसके बाद बोलीदाता कहा जाएगा, जिसमें जहां संदर्भ ऐसा स्वीकार करता है, उक्त फर्म के सभी साझेदार और उनके संबंधित उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक या अनुमत असाइन शामिल होंगे), एक पक्ष का, और भारत के राष्ट्रपति, जो संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डाक विभाग के अधिकृत अधिकारी द्वारा और उसके माध्यम से कार्य कर रहे हैं (जिसे इसके बाद सरकार कहा जाएगा, जिसमें जब तक कि विषय या संदर्भ द्वारा अपवर्जित या प्रतिकूल न हो, तब तक उसके उत्तराधिकारी और अनुमत असाइन शामिल होंगे)।

जबकि बोलीदाता ने भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 में परिभाषित सभी डाक वस्तुओं और मेल बैगों के पारगमन, परिवहन और वितरण के लिए सरकार के साथ अनुबंध करने की पेशकश की है, जैसा कि और * के बीच और इसके विपरीत से दिन तक

*यहां कंपनी का नाम या व्यक्ति का नाम या भागीदारों के नाम दर्ज किए गए हैं

a) यदि बोलीदाता एक कंपनी है

b) यदि बोलीदाता एक व्यक्ति है

c) यदि बोलीदाता एक साझेदारी फर्म है और इसके बाद उल्लिखित के रूप में आवश्यक नहीं विकल्प को हटा देता है और उक्त सरकार ने इसके बाद दिखाई गई शर्तों और नियमों पर इस तरह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।

और चूंकि यह भी सहमति हुई है कि बोलीदाता को उक्त अनुबंध की उचित पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से किसी एक रूप में अनुबंध के कुल मूल्य का 3% सुरक्षा जमा प्रस्तुत करना होगा

i) जारी मूल्य पर डाकघर प्रमाण पत्र और मुख्य पोस्टमास्टर जनरल/निदेशक डाक सेवाएं/अधीक्षक, आरएमएस को गिरवी रखना

ii) मुख्य पोस्टमास्टर जनरल/पोस्टमास्टर जनरल/निदेशक डाक सेवाएं.....सर्किल/अधीक्षक, आरएमएस को गिरवी रखकर डाकघर बचत बैंक में की गई जमा राशि,

iii) उक्त राशि के लिए बैंक गारंटी/डीडी/बीमा जमानत बांड (उच्च मूल्य के अनुबंध के लिए) ।
और तदनुसार उसने इन प्रस्तुतियों पर हस्ताक्षर करने से पहले उक्त डाक सर्किल के प्रमुख के पास
..... रुपये की राशि जमा कर दी है।

अब यह अनुबंध इस बात का साक्षी है कि उक्त बोलीदाता उक्त समझौते के अनुसरण में तथा परिसर और इसके बाद उसे किए जाने वाले भुगतानों के प्रतिफल में इन प्रस्तुतियों द्वारा सरकार के साथ निम्नलिखित तरीके से अनुबंध करता है, अर्थात्: - इसके द्वारा दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से निम्न प्रकार से घोषणा की जाती है: -

1) बोलीदाता इस अनुबंध की अवधि के दौरान, अर्थात्दिन सेदिन तकवर्ष की अवधि के लिए या जब तक उक्त अनुबंध को इसके बाद उल्लिखित नोटिस द्वारा या अन्यथा विधि के अनुसार समाप्त नहीं कर दिया जाता है (जिसे इसके बाद उक्त अनुबंध अवधि कहा जाता है) विधिवत् और सुरक्षित रूप से और विभिन्न डाकघरों, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों और इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित स्थानों या इसके किसी संशोधन के बीच दैनिक रूप से शीघ्रता से परिवहन करना, जैसा कि इसके खंड 5 में निहित शक्तियों के अनुसरण में किया जा सकता है, जिसमें इसके बाद प्रतिस्थापित कोई अनुसूची भी शामिल है (इसके बाद यात्राओं की अनुसूची के रूप में संदर्भित) उपयुक्त मोटर वाहनों के माध्यम से जैसा कि इसके बाद खंड 3, 8, 20 और 22 में प्रदान किया गया है, भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 में परिभाषित सभी डाक लेख और मेल बैग, जिन्हें इसके बाद डाक लेख और मेल बैग के रूप में संदर्भित किया गया है, जो मुख्य पोस्टमास्टर जनरल / पोस्टमास्टर जनरल / डाक सेवाओं के निदेशक (इसके बाद सर्किल के उक्त प्रमुख के रूप में संदर्भित) / अधीक्षक द्वारा। डाकघरों के अधीक्षक/आरएमएसडिवीजन के अधीक्षक, जिन्हें इसके बाद उक्त वरिष्ठ अधीक्षक/डाकपाल/तत्समय अनुसूची में उल्लिखित किसी भी स्थान के डाकपाल या इस संबंध में विधिवत् प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों के रूप में संदर्भित किया जाएगा, को उक्त रेलवे स्टेशनों और पूर्वोक्त स्थानों के बीच उक्त सर्किल प्रमुख/अधीक्षक/डाकपाल की संतुष्टि और सामान्य निर्देश के तहत सभी मामलों में ले जाया और पहुंचाया जाना आवश्यक होगा, बशर्ते कि उक्त सर्किल प्रमुख/उक्त वरिष्ठ अधीक्षक/उक्त डाकपाल उक्त अनुबंध अवधि की समाप्ति से पहले बोली लगाने वाले को लिखित में आठ सप्ताह का नोटिस देकर, नवीनीकरण की इस शर्त को छोड़कर, उन्हीं नियमों और शर्तों पर जो इसमें निहित हैं, इस अनुबंध की अवधि को बारह महीने से अधिक नहीं की अवधि के लिए बढ़ा सकते हैं।

2) बोलीदाता डाक स्टॉक डिपो/कार्यालय द्वारा भेजे गए डाकघर प्रपत्रों और भण्डारों को, जहां ऐसे प्रपत्र और भण्डार मुद्रित और भण्डारित किए जाते हैं, अनुबंध से संलग्न अनुसूची में नामित विभिन्न डाकघरों, रेलवे और स्टीमर स्टेशनों और रेलवे मेल सेवा कार्यालयों तथा ऐसे अन्य स्थानों पर ले जाएगा, जहां उक्त सर्किल प्रमुख/उक्त अधीक्षक/उक्त पोस्टमास्टर/यात्रा अनुसूची में उल्लिखित किसी भी स्थान के पोस्टमास्टरों द्वारा अपेक्षित हो। ऐसे प्रपत्र और भण्डार इस अनुबंध के प्रयोजन के लिए डाक सामग्री और मेल बैग माने जाएंगे।

3) बोलीदाता, इस अनुबंध के समुचित निष्पादन के लिए, अपने स्वयं के व्यय पर, उक्त सर्किल प्रमुख/उक्त अधीक्षक/उक्त पोस्टमास्टर की संतुष्टि और अनुमोदन के लिए पर्याप्त संख्या में (असहमति की स्थिति में उक्त सर्किल प्रमुख द्वारा तय किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा) अच्छे विश्वसनीय निर्माता के निम्नलिखित प्रकार के मोटर वाहन या सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से इंगित किए गए प्रकार/प्रकारों का रख-रखाव, रखरखाव और उपलब्ध कराएगा।

- i) तिपहिया डिलीवरी वैन जो तीन वर्ष से अधिक पुरानी न हो और जिसकी भार वहन क्षमता 500 किलोग्राम से कम न हो तथा जिसमें एक व्यक्ति के बैठने की व्यवस्था हो। डाक अधिकारी को जब भी आवश्यकता हो, तिपहिया वाहन (ड्राइवर केबिन को छोड़कर) का धातु शरीर पूरी तरह से धातु से ढका होना चाहिए और उसमें ताले की व्यवस्था के साथ दरवाजे होने चाहिए।

- ii) चार पहिया मोटर वाहन जो तीन साल से अधिक पुराने नहीं हैं और जिनकी भार वहन क्षमता 1000 किलोग्राम से कम नहीं है, जिसमें दो डाक अधिकारियों के यात्रा करने के लिए बैठने की व्यवस्था का प्रावधान है। जब भी आवश्यक हो (संख्या निर्दिष्ट की जाए) सशस्त्र अनुरक्षकों की यात्रा के लिए बैठने की व्यवस्था का भी प्रावधान होगा। चार पहिया वाहन के चारों तरफ और छत पूरी तरह से जलरोधी धातु की शीट से बनी होनी चाहिए और उसमें ताले की व्यवस्था के साथ दरवाजे होने चाहिए।
- iii) चार पहिया मोटर जो तीन साल से अधिक पुराने नहीं हैं और 2500 किलोग्राम से कम नहीं भार उठा सकते हैं, जिसमें दो डाक अधिकारियों के यात्रा करने के लिए बैठने की व्यवस्था का प्रावधान चार पहिया वाहन के चारों तरफ और छत पूरी तरह से जलरोधी धातु की चादरों से बनी होनी चाहिए और उसमें ताले लगे होने चाहिए।
- iv) चार पहिया मोटर वाहन जो चार साल से अधिक पुराने न हों और जिनकी भार वहन क्षमता 3500 किलोग्राम से कम न हो, जिसमें दो डाक अधिकारियों के बैठने की व्यवस्था हो। आवश्यकता पड़ने पर (संख्या निर्दिष्ट की जाए) सशस्त्र अनुरक्षकों के बैठने की व्यवस्था भी होगी। चार पहिया वाहन के चारों तरफ और छत पूरी तरह से जलरोधी धातु की चादरों से बनी होनी चाहिए और उसमें ताले लगे होने चाहिए।
- v) इस करार के प्रयोजन के लिए बोलीदाता द्वारा किसी मोटर वाहन का प्रयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि इसे उक्त सर्किल प्रमुख/उक्त संभागीय अधीक्षक/उक्त पोस्टमास्टर के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता है तथा इसकी शैली, शक्ति, डिजाइन, निर्माण और बॉडी तथा अन्य निर्धारित विनिर्देशों को इस करार के अंतर्गत प्रयोग के लिए उन अधिकारियों द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिया जाता है तथा उक्त सर्किल प्रमुख/उक्त संभागीय अधीक्षक/उक्त पोस्टमास्टर इसे रंगने या अन्यथा चिह्नित करने की मांग कर सकते हैं जैसा कि वे निर्देश दें तथा बोलीदाता उक्त सर्किल प्रमुख/उक्त संभागीय अधीक्षक/उक्त पोस्टमास्टर की संतुष्टि के लिए अपने व्यय पर कार्य को तत्काल पूरा करेगा। ऐसे सभी मोटर वाहन बोलीदाता द्वारा प्रयोग के लिए आरक्षित किए जाएंगे तथा इनका प्रयोग केवल और विशेष रूप से उक्त डाक सामग्री तथा मेल बैगों तथा डाक अधिकारियों और सशस्त्र अनुरक्षकों को (स्थान) के भीतर लाने-ले जाने तथा इस करार के निष्पादन के लिए किया जाएगा तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा।
- 4 और बोलीदाता उक्त अनुबंध की अवधि के दौरान विभिन्न डाकघरों, रेलवे स्टेशनों और स्थानों के लिए प्रस्थान आगमन के लिए यात्रा अनुसूची में उल्लिखित समय का समय पर पालन करेगा और विभिन्न डाकघरों, रेलवे स्टेशनों और स्थानों के बीच विशेष यात्राओं के लिए क्रमशः ऐसी अनुसूची में निर्धारित मार्गों का अनुसरण करेगा।
- 5(क) सरकार उक्त सर्किल प्रमुख/उक्त अधीक्षक/उक्त पोस्टमास्टर (राजपत्रित) द्वारा सर्किल प्रमुख/क्षेत्रीय पीएमजी की ओर से लिखित सूचना द्वारा किसी भी समय या समय पर या समय-समय पर जब भी उचित समझा जाए यात्राओं की अनुसूची में कोई परिवर्तन करने या यात्राओं की अनुसूची को रद्द करने या बदलने या उसके स्थान पर कोई अन्य अनुसूची रखने और उसके बाद पुनः समय-समय पर उक्त को रद्द करने या बदलने या उसके स्थान पर कोई नई अनुसूची रखने की स्वतंत्रता होगी, लेकिन ऐसा कोई भी रद्दीकरण, परिवर्तन या प्रतिस्थापन बोलीदाता को आपातकालीन मामलों को छोड़कर एक सप्ताह की पूर्व सूचना के ही किया जाएगा। सर्किल का कोई भी अधिकारी/अधीक्षक/उक्त पोस्टमास्टर/यात्राओं की अनुसूची में किसी भी स्थान का पोस्टमास्टर भी किसी भी समय तीन घंटे के नोटिस पर लिखित रूप में आदेश दे सकता है कि किसी विशेष दिन अतिरिक्त किलोमीटर चलाया जाए या अतिरिक्त यात्रा की जाए और अतिरिक्त यात्रा का आदेश दिए जाने की स्थिति में वह ऐसी अतिरिक्त यात्रा के आगमन और प्रस्थान के घंटे भी तय करेगा और इस प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले मोटर वाहनों के प्रकार को भी निर्दिष्ट करेगा।

ख) सरकार, उक्त सर्किल प्रमुख/उक्त अधीक्षक/उक्त पोस्टमास्टर/सर्किल प्रमुख/क्षेत्रीय पीएमजी की ओर से राजपत्रित अधिकारी द्वारा बोली लगाने वाले को लिखित सूचना द्वारा किसी भी समय या समय-समय पर जब भी उचित समझा जाए, रविवार और किसी अन्य डाक अवकाश पर कोई डाक न भेजने और इसी प्रकार की सूचना द्वारा रविवार और अन्य डाक अवकाश पर प्रतिबंधित सेवा का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगी।

6 बोली लगाने वाला, अनुबंध अवधि के दौरान यात्राओं की अनुसूची में निर्दिष्ट प्रत्येक यात्रा के लिए उक्त डाक सामग्री, मेल बैग और डाकिया की ढुलाई की व्यवस्था करेगा और आवश्यकता पड़ने पर प्रत्येक मामले में ऐसे प्रकार के मोटर वाहन की व्यवस्था करेगा, जिसे सर्किल प्रमुख/उक्त अधीक्षक/उक्त पोस्टमास्टर द्वारा आवश्यक समझा जाए और उक्त डाक सामग्री और मेल बैग की दावा की गई राशि को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाए और डाकिया उक्त यात्रा के लिए उपयोग किए जाने वाले मोटर वाहन के प्रकार की क्षमता तक उक्त डाक सामग्री और मेल बैग को ले जाएगा, चाहे उनका वजन और भार कुछ भी हो।

7 बोलीदाता उक्त सर्किल प्रमुख/उक्त अधीक्षक/उक्त पोस्टमास्टर/विभिन्न डाकघरों के पोस्टमास्टरों के अनुदेशों का पालन करेगा, जिनका उल्लेख संलग्न यात्राओं की अनुसूची में किया गया है, कि किस प्रकार उक्त डाक सामग्री और मेल बैग को बोलीदाता के मोटर वाहनों में संग्रहीत, पैक और लोड किया जाएगा या निकाला जाएगा।

8 बोलीदाता स्थानीय प्राधिकारियों या राज्य सरकारों से आवश्यक परमिट, लाइसेंस आदि प्राप्त करने के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होगा। बोलीदाता इस समझौते के प्रयोजनों के लिए बोलीदाता द्वारा प्रदान किए गए मोटर वाहनों के संबंध में स्थानीय प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले सभी दरों, करों सहित सेवा कर आदि और शुल्क का वहन करेगा और भुगतान करेगा तथा बोलीदाता अपने स्वयं के व्यय पर ऐसे सभी मोटर वाहनों और मशीनरी और उनके सभी भागों को साफ और अच्छी और उचित कार्यशील स्थिति में और उपयोग के लिए उपयुक्त बनाए रखेगा और उनके उचित संचालन और इस समझौते के प्रयोजनों के समुचित निष्पादन के लिए आवश्यक सभी ईंधन, स्नेहक, गाड़ी की लाइट, स्पेयर पार्ट्स और अन्य चीजें प्रदान करेगा। ऐसे सभी मोटर वाहन अपनी निरंतर स्थिति और इस अनुबंध के कुशल निष्पादन के लिए उपयुक्तता के संबंध में हर समय उक्त सर्किल प्रमुख/उक्त अधीक्षक/उक्त पोस्टमास्टर के निरीक्षण और अनुमोदन के अधीन होंगे। सभी वाहनों को हर साल मार्च या अक्टूबर के अंत में पूरी तरह से रंग दिया जाएगा (जैसा कि सेवा क्रमशः पहाड़ियों या मैदानों में है) और उन्हें अन्यथा उक्त सर्किल प्रमुख/उक्त अधीक्षक/उक्त पोस्टमास्टर द्वारा अपेक्षित रूप से प्रस्तुत करने योग्य स्थिति में रखा जाएगा और उनमें कम से कम एक अतिरिक्त टायर और एक ट्यूब उपयोग के लिए तैयार और उपलब्ध रखा जाएगा।

9 बोलीदाता इस प्रकार आश्वस्त करता है और घोषणा करता है कि डाक विभाग से जुड़े या उसके रोजगार में अब किसी का भी इस अनुबंध में कोई हित नहीं है और न ही ऐसे किसी व्यक्ति को इस अनुबंध में किसी भी हित के लिए भागीदार के रूप में कभी भी स्वीकार किया जाएगा। बोलीदाता सरकार को अपने व्यवसाय का पूर्ण विवरण लिखित रूप में देगा तथा यदि अपेक्षित हो तो वह इस अनुबंध के प्रयोजनों के लिए जिन एजेंटों और सेवकों को नियुक्त करने का प्रस्ताव करता है, उनके नाम, माता-पिता, आयु, निवास तथा हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान का नमूना भी सरकार को लिखित रूप में देगा, इससे पहले कि उन्हें इस प्रकार नियुक्त किया जाए तथा सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने से मना कर सकती है जिसे उक्त सर्किल प्रमुख/अधीक्षक/डाकपाल अवांछनीय मानते हों।

10) यह अनुबंध, न तो इसका कोई भाग या इसमें कोई हित बोलीदाता द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को या किसी कंपनी को हस्तांतरित किया जाएगा या ऐसा करने का प्रयास किया जाएगा, जब तक कि उक्त सर्किल प्रमुख/उक्त अधीक्षक/उक्त सर्किल प्रमुख/उक्त अधीक्षक/उक्त पोस्टमास्टर की पूर्व लिखित

सहमति पहले न ले ली गई हो, लेकिन बोलीदाता के उत्तराधिकारियों और प्रतिनिधियों को उक्त सर्किल प्रमुख/उक्त अधीक्षक/उक्त पोस्टमास्टर की लिखित सहमति से उसकी मृत्यु की स्थिति में अनुबंध के तहत बोलीदाता के कर्तव्यों या दायित्वों का पालन करना जारी रखने का अधिकार होगा। बोलीदाता द्वारा अपना व्यवसाय हस्तांतरित करने की स्थिति में तथा बोलीदाता द्वारा कंपनी का परिसमापन किए जाने की स्थिति में तथा इस अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी समय अपने व्यवसाय को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों या कंपनी को हस्तांतरित करने के उद्देश्य से, बोलीदाता अपनी संपत्तियों और व्यवसाय को ऐसे अन्य व्यक्ति या कंपनी को हस्तांतरित करने के अनुबंध के लिए यह एक शर्त और नियम बनाएगा कि ऐसा अन्य व्यक्ति या कंपनी, बशर्ते कि उक्त सर्किल प्रमुख/उक्त अधीक्षक/उक्त पोस्टमास्टर इसके लिए सहमति दे, अनुबंध के तहत बोलीदाता के कर्तव्यों या दायित्वों का पालन करना जारी रखेगी।

10(क) यदि अनुबंध के अस्तित्व के दौरान, बोलीदाता, जो साझेदारी फर्म है, मृत्यु, सेवानिवृत्ति, दिवालियापन, नए साझेदारों के प्रवेश या किसी अन्य कारण से विघटित या पुनर्गठित होती है, तो बोलीदाता ऐसे विघटन या पुनर्गठन की सूचना तत्काल (रिक्त स्थानों में उपयुक्त अधिकारी का पदनाम डाला जाएगा) को देंगे, जो अपने पूर्ण विवेक से या तो अनुबंध को समाप्त करने के हकदार होंगे, जिसके परिणामस्वरूप बोलीदाता को किसी नुकसान या क्षति के लिए सरकार की ओर से क्षतिपूर्ति करने का कोई दायित्व नहीं होगा या उसे जारी रखेंगे। (रिक्त स्थानों में उपयुक्त अधिकारी का पदनाम डाला जाएगा) द्वारा अनुबंध जारी रखने का निर्णय लेने की स्थिति में, पुनर्गठित फर्म के साझेदार सभी मामलों में अनुबंध की शर्तों और नियमों से उसी आशय और प्रभाव से बंधे होंगे, जैसे कि वे अनुबंध के पक्षकार थे और ऐसे साझेदार (रिक्त स्थानों में उपयुक्त अधिकारी का पदनाम डाला जाएगा) द्वारा ऐसा करने के लिए कहे जाने पर उस आशय का एक नया अनुबंध निष्पादित करेंगे।

11) ड्यूटी के लिए नियुक्त डाक अधिकारी इस करार के तहत उक्त डाक सामग्री और मेल बैग ले जाने में नियोजित प्रत्येक मोटर वाहन पर मुफ्त यात्रा करने के हकदार होंगे और ऐसे डाक अधिकारियों द्वारा ऐसे मोटर वाहन के चालक को दिए गए सभी उचित निर्देशों का उसके द्वारा अनुपालन किया जाएगा और उस पर कोई अन्य यात्री नहीं ले जाया जाएगा।

12) बोलीदाता इस करार के निष्पादन से उत्पन्न आग, टक्कर या दुर्घटना से सरकार को होने वाली सभी हानियों और क्षतियों के लिए जिम्मेदार होगा और इस करार के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी मोटर वाहन द्वारा संपत्ति या व्यक्तियों या पशुओं को होने वाली सभी क्षतियों के लिए, चाहे वह चालक या किसी अन्य व्यक्ति की लापरवाही या चूक के कारण हुई हो या अन्यथा, जिम्मेदार होगा और बोलीदाता सरकार को ऐसी सभी हानियों, क्षतियों और प्रत्येक जुर्माने के भुगतान से मुआवजा देगा जो किसी भी चालक पर लापरवाही से या अत्यधिक गति से या उचित रोकथाम के बिना या पुलिस द्वारा समय-समय पर दिए गए यातायात निर्देशों या किसी रेलवे या पोर्ट ट्रस्ट नियमों के विपरीत या अन्यथा, हालांकि, श्रमिक मुआवजा अधिनियम के तहत किसी भी दावे सहित, वाहन चलाने के लिए लगाया जा सकता है।

13) बोलीदाता सभी पत्रों, कागजों, प्रेषणों, पैकेटों, पार्सलों, दस्तावेजों, लेखों, वस्तुओं और चीजों की उचित और सुरक्षित अभिरक्षा तथा अच्छी स्थिति में डिलीवरी के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी और जिम्मेदार होगा, जो उक्त डाक वस्तुओं और मेल बैगों का हिस्सा हैं या उनका कोई हिस्सा हैं या जिनमें से वही या उनका कोई हिस्सा इस अनुबंध के तहत या इसके अनुसरण में परिवहन, वहन और डिलीवरी के लिए उसे सौंपा गया है या दिया गया है और उनमें होने वाली सभी हानियों या क्षतियों या चोटों के लिए क्रमशः उस समय से जब ऐसे पत्र, कागजों, प्रेषणों, पैकेटों, पार्सलों, दस्तावेजों, लेखों, वस्तुओं और चीजों को क्रमशः उस समय तक जब उन्हें क्रमशः डाकघर के उचित अधिकारी या अन्य अधिकृत व्यक्ति को उनके परिवहन और वहन की समाप्ति पर सौंप दिया जाएगा, चाहे ऐसी हानियां, क्षतियां या चोटें किसी भी कारण से उत्पन्न हुई हों और चाहे वे उसके कर्मचारियों या एजेंटों के आपराधिक या अन्य कृत्यों या चूकों से उत्पन्न हुई हों या नहीं और वह सरकार को ऐसी सभी या किसी की कीमत का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। पत्र, कागज, प्रेषण, पैकेट, पार्सल,

जो दस्तावेज, लेखन, लेख और चीजें जो खो सकती हैं और उन सभी या किसी को हुई क्षति या क्षति की राशि पूर्वोक्त समय के बीच क्षतिग्रस्त या क्षतिग्रस्त हो सकती है और अन्य सभी हानि, क्षति, लागत, शुल्क या व्यय की राशि, जो कि उक्त डाक सामग्री और मेल बैग या उनके किसी भाग या भाग को ऐसे अच्छे क्रम में वितरित करने में विफलता से उत्पन्न होती है और शर्त और पूर्वोक्त समय पर तथा इस खंड के अंतर्गत बोलीदाता द्वारा देय प्रत्येक राशि के बारे में सर्किल के उक्त प्रमुख का प्रमाण पत्र, उस राशि के संबंध में निर्णायक होगा तथा बोलीदाता पर बाध्यकारी होगा। बशर्ते कि इस खंड के अंतर्गत बोलीदाता की जिम्मेदारी और दायित्व दैवीय कृत्यों, किसी सेना की हिंसा, या भीड़ या अन्य अदम्य बल या किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा की गई लूट या डकैती से हुई किसी हानि, क्षति या चोट तक विस्तारित नहीं होगी जो बोलीदाता के अधीन या उसके नियंत्रण में नहीं है, और बशर्ते कि, तथा पूर्वोक्त किसी बात के होते हुए भी, जब सर्किल प्रमुख/उक्त अधीक्षक/उक्त पोस्टमास्टर के लिखित आदेशों के अंतर्गत, किसी डाकघर के अधिकारी को इस करार के अंतर्गत ले जाए जाने वाले किसी सामान के साथ जाने के लिए नियुक्त किया जाता है, तो बोलीदाता उस समय किसी हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जब उक्त अधिकारी उसके साथ हो, जब तक कि सर्किल प्रमुख की राय में (जो बोलीदाता पर अंतिम और बाध्यकारी होगी) ऐसा नुकसान बोलीदाता या बोलीदाता के किसी कर्मचारी की ओर से किसी गलती, लापरवाही या आपराधिक कार्रवाई के कारण न हुआ हो। 14) किसी यात्रा के पूरा न होने या पूर्व में निर्धारित समय सारणी के अनुसार किसी यात्रा के पूरा होने में देरी होने की स्थिति और यात्रा कार्यक्रम में निर्धारित किसी भी स्थान या कार्यालय पर कोई डाक सामग्री या मेल बैग पहुंचाने या लेने में विफल रहने, कुशल सेवा बनाए रखने में विफल रहने की स्थिति में बोलीदाता नीचे उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

क्र.सं.	कारण	राशि
1	किसी भी यात्रा को पूरा करने में विफलता	रु. 15 प्रति किमी
2	किसी भी यात्रा को पूरा करने में देरी, एक घंटे से अधिक नहीं	रु. 8 प्रति किमी
3	किसी भी यात्रा को पूरा करने में देरी, एक घंटे से अधिक नहीं और दो घंटे से अधिक नहीं।	रु. 10 प्रति किमी
4	किसी भी यात्रा को पूरा करने में देरी, दो घंटे से अधिक नहीं और तीन घंटे से अधिक नहीं।	रु. 11 प्रति किमी
5	किसी भी यात्रा को पूरा करने में देरी, तीन घंटे से अधिक नहीं।	रु. 11.50 प्रति बैग
6	किसी भी स्टेशन पर किसी भी डाक सामग्री या मेल बैग को वितरित या लेने में विफलता।	रु. 5 रुपये प्रति बैग
7	किसी भी स्टेशन पर किसी भी डाक सामग्री या मेल बैग की डिलीवरी या उठाने में देरी पहला दिन दूसरा दिन प्रत्येक आगामी दिन के लिए	रु 5 प्रति बैग रु 6 प्रति बैग रु. 7 प्रति बैग

हमेशा यह प्रावधान है कि बोलीदाता इस खंड के अंतर्गत किसी भी ऐसी चूक, देरी या विफलता के लिए कोई राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जैसा कि पहले वर्णित है, यदि और जहां तक वह जिला बोर्ड, लोक निर्माण विभाग या पुलिस द्वारा डाक ले जाने वाले मोटर वाहनों के लिए सड़क बंद करने, सेना या भीड़ या अन्य अप्रतिरोध्य बल या लूट या डकैती या दैवीय कृत्य के कारण हुआ हो, लेकिन यह तथ्य कि सड़क का हिस्सा वाहनों के आवागमन के लिए अगम्य हो सकता है, बोलीदाता को अनुबंध के तहत उसकी देनदारियों से मुक्त नहीं करेगा और ऐसे मामले में, इसमें पहले निहित किसी भी बात के बावजूद, वह सरकार को अतिरिक्त लागत के बिना, डाक वस्तुओं और मेल बैगों को मजदूरों या अन्य साधनों द्वारा ले जाने की व्यवस्था करेगा, जहां सड़क वाहनों के आवागमन के लिए अगम्य है और वहां से इसमें पहले दिए गए तरीके से।

बशर्ते कि बोलीदाता की पूर्वोक्त राशियों का भुगतान करने की देयताएं सरकार के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगी, जिसके अंतर्गत सरकार को ऐसे चूक के परिणामस्वरूप किसी व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी और उसके संबंध में अन्य अधिकार होंगे। यह भी प्रावधान है कि यदि बोलीदाता महीनों के भीतर तीन बार ऐसी चूक करता है या कुशल मोटर वाहन सेवा बनाए रखने में या इसमें निहित किसी भी शर्त, समझौते और शर्तों को पूरा करने और उनका पालन करने में विफल रहता है (जिसके बारे में उक्त सर्किल प्रमुख का निर्णय अंतिम होगा) या यदि बोलीदाता दिवालिया हो जाता है या यदि कोई कंपनी खंड 10 में दिए गए प्रावधान को छोड़कर स्वैच्छिक रूप से या अनिवार्य रूप से बंद हो जाती है, तो जिस प्राधिकारी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, वह लिखित नोटिस द्वारा, किसी अन्य उपचार के अतिरिक्त या उसके बदले में भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुबंध को समाप्त करने का निर्णय लिए जाने के बाद अनुबंध को तुरंत समाप्त कर सकता है, और सुरक्षा के पूरे या किसी हिस्से को जब्त करने की घोषणा भी कर सकता है। आगे यह भी प्रावधान है कि इस खंड के तीसरे परंतुक के अंतर्गत अनुबंध समाप्त होने की स्थिति में, उक्त सर्किल प्रमुख, इसके अतिरिक्त, अपनी इच्छा से, बोलीदाता द्वारा ऐसी तिथि को उपयोग किए गए सभी या किसी वाहन को चार अंग्रेजी कैलेंडर महीनों से अधिक अवधि के लिए अपने अधिकार में ले सकता है और उसका उपयोग कर सकता है, तथा बोलीदाता को ऐसे उपयोग के लिए मुख्य पोस्टमास्टर जनरल द्वारा निर्धारित की जाने वाली कोई भी उचित राशि का भुगतान कर सकता है, जो ऐसी अवधि के दौरान वाहनों को हुए सभी नुकसानों और हानियों या अन्यथा को कवर करने के लिए होगी।

आगे यह भी प्रावधान है कि यदि अनुबंध पूर्वोक्त रूप से समाप्त किए जाने योग्य है, तो सरकार अपने विवेक से अनुबंध को समाप्त कर सकती है या अनुबंध को समाप्त किए बिना पूरी सुरक्षा राशि सरकार को जब्त कर सकती है। लेकिन अनुबंध की ऐसी समाप्ति या पूर्वोक्त प्रतिभूति की जब्ती, प्रत्येक विफलता या चूक के संबंध में सभी अन्य उपायों के सरकार के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी और विशेष रूप से सरकार को हुई हानि या क्षति की पूरी राशि वसूलने के सरकार के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी, भले ही वह राशि जब्त की गई राशि से अधिक हो और इस प्रकार जब्त की गई प्रतिभूति को किसी ऐसी हानि या क्षति की पूर्ति के लिए लिया जा सकता है या नहीं भी लिया जा सकता है।

15) किसी भी एक निर्धारित प्रपत्र में प्रतिभूति जमा के रूप में जमा की गई उक्त राशि रुपये बोली लगाने वाले द्वारा सभी और विलक्षण अनेक वचनों, शर्तों और समझौतों का उचित और निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए सरकार द्वारा प्रतिभूति के रूप में रखी जाएगी, जिनका पालन या पालन उसकी ओर से उक्त सर्किल प्रमुख/उक्त अधीक्षक/उक्त पोस्टमास्टर को सरकार के लिए और उसकी ओर से पूर्ण शक्ति के साथ किया जाना है। यदि बोलीदाता अपनी ओर से इसमें निहित सभी या किसी भी अनुबंध, शर्तों या समझौतों को पूरा करने, रखने और पालन करने में विफल रहता है, तो विभाग इस प्रकार जमा की गई राशि को जब्त कर लेगा या अन्यथा उक्त सुरक्षा जमा का मूल्य पूरी तरह से या उसके किसी भी हिस्से के साथ ब्याज के सभी या किसी भी हिस्से के साथ वसूल करेगा जो कि सभी या किसी भी नुकसान की राशि की संतुष्टि के लिए अर्जित होगा और हो सकता है, और अन्य राशियां जो उक्त बोलीदाता इसके तहत भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो सकता है, लेकिन फिर भी, उक्त राशि का ब्याज धन या इसके बदले में प्राप्त प्रतिभूतियों को इस बीच सर्किल के प्रमुख / उक्त अधीक्षक / उक्त पोस्टमास्टर को भुगतान किया जा सकता है यदि वह ठीक समझे और यदि उक्त सुरक्षा मूल्यहास करती है या उसमें से पूर्वोक्त अनुसार विनियोजन किया जाता है, तो बोलीदाता ऐसी कमी को पूरा करने के लिए मांगे जाने पर अधिक सुरक्षा प्रदान करने का वचन देता है 1872.

16) बोलीदाता ने प्रति वाहन दर चार्ट (सेवा कर को छोड़कर) के अनुसार वाहनों की आपूर्ति करने पर सहमति व्यक्त की है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

क्र०सं०	विवरण	दर (रु.)
1	प्रति किलोमीटर प्रति वाहन	
2	पेश किए गए वाहनों की संख्या	

17) इस समझौते के तहत बोलीदाता द्वारा किए जाने वाले कार्य के लिए उसका मासिक पारिश्रमिक रु. (रु.) होगा, जो किसी भी कैलेंडर माह के दौरान प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में रु. प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान किया जाएगा। बोलीदाता को अगले महीने की 15 तारीख को या उससे पहले जमा करना होगा। कैलेंडर माह में ऐसी सेवाओं के संबंध में बिल जिसमें पूर्ण विवरण और उसके समर्थन में दस्तावेजों के साथ गणना का विवरण दर्शाया गया हो। मासिक पारिश्रमिक बोलीदाता(ओं) को बिल प्रस्तुत करने के 30 दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा। बशर्ते कि अनुबंध दिए जाने की तिथि से छह पूर्ण कैलेंडर महीनों के पश्चात यदि इस अनुबंध के अस्तित्व के दौरान किसी भी समय, यदि किसी कैलेंडर महीने के लिए _____ (स्थान) पर प्रचलित ईंधन (स्थानीय सरकार करों सहित) का औसत मूल्य, जिसमें यह अनुबंध लागू होगा, निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) जारी करने की तिथि को _____ (स्थान) पर प्रचलित ईंधन (स्थानीय सरकार करों सहित) के मूल्य से अधिक या कम हो, अर्थात् _____ पैसे _____ प्रति लीटर (जिसे इसके पश्चात मूल मूल्य कहा जाएगा), ऐसे महीने के लिए देय पारिश्रमिक निम्नलिखित सूत्र के अनुसार बढ़ाया या घटाया जाएगा:-

$$\text{प्रति किलोमीटर दर में वृद्धि/कमी} = \frac{\text{प्रति लीटर ईंधन मूल्य में वृद्धि/कमी}}{\text{उसी वाहन का प्रति लीटर औसत किलोमीटर}}$$

$$\text{ईंधन का औसत मूल्य} = \frac{\text{पिछले महीने के प्रत्येक दिन के लिए ईंधन मूल्य का योग}}{\text{एक महीने में कुल दिनों की संख्या}}$$

वाहन को निर्धारित परिचालन पर लाने से पहले ईंधन पर प्रति लीटर औसत किलोमीटर दर्ज करने के लिए वाहन की जांच की जाएगी। हालांकि, ईंधन की दरों में वृद्धि/कमी के परिणामस्वरूप अतिरिक्त घंटों की दरों में कोई बदलाव नहीं होगा।

इस खाते पर बोलीदाता को भुगतान की जाने वाली या उसके विरुद्ध दावा की जाने वाली अतिरिक्त राशि का दावा सरकार या बोलीदाता द्वारा 90 दिनों के भीतर किया जा सकता है।

इसके अलावा, चूंकि उक्त मासिक पारिश्रमिक प्रति माह किलोमीटर की दूरी पर आधारित है, यदि यात्राओं के कार्यक्रम में परिवर्तन के कारण या अतिरिक्त यात्राओं के आदेश के कारण या किसी अन्य कारण से, किसी कैलेंडर माह के दौरान कवर या चलाया गया किलोमीटर उक्त किलोमीटर की दूरी से अधिक या कम है, तो बोलीदाता को देय मासिक पारिश्रमिक मामले के अनुसार आनुपातिक रूप से बढ़ाया या घटाया जाएगा।

और यह भी प्रावधान है कि ऐसे किलोमीटर रेंज की गणना करते समय केवल सबसे छोटे मार्ग से प्रभावित डाक टर्मिनलों के बीच की दूरी मापी जाएगी, जब तक कि वह मार्ग वाहनों के आवागमन के लिए बंद न हो, भले ही वाहनों को अधिक दूरी तय करनी पड़े और यदि किसी कारण से यात्राओं या आदेश की अनुसूची में निर्दिष्ट क्षमता से कम क्षमता वाले वाहन का उपयोग किया जाता है और परिणामस्वरूप उक्त डाक वस्तुओं और मेल बैगों को ले जाने में एक से अधिक यात्राएं करनी पड़ती हैं, तो केवल एक यात्रा को उन यात्राओं के लिए गिना जाएगा, जो अनुबंधित क्षमता या आदेश के वाहन द्वारा ले जाई जा सकने वाली दूरी को ले जाती हैं।

यह प्रावधान हमेशा किया जाता है कि किसी भी कैलेंडर माह के लिए पारिश्रमिक में किसी भी वृद्धि के लिए कोई दावा सरकार द्वारा विचार नहीं किया जाएगा, यदि किसी कैलेंडर माह के लिए बिल बोलीदाता(ओं) द्वारा यहां पहले उल्लिखित तिथि को या उससे पहले प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

बशर्ते कि यदि इस अनुबंध की अवधि के दौरान बोलीदाता द्वारा इस अनुबंध को पूरा करने में किए गए खर्च विधानमंडल के किसी अधिनियम के पारित होने के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं, तो अनुबंध करने वाले पक्ष क्रमशः इस अनुबंध के तहत बोलीदाता को किए जाने वाले भुगतान के अनुरूप संशोधन का दावा करने के हकदार होंगे।

18) बोलीदाता इस अनुबंध के प्रयोजन के लिए मोटर वाहनों को (ईंधन का प्रकार) पर चलाने का वचन देता है और यह भी सहमत होता है कि यदि वह (ईंधन का प्रकार) के अलावा किसी अन्य मोटर ईंधन का उपयोग करता है, चाहे केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के आदेश के तहत सरकार या किसी भी कारण से उक्त सर्किल प्रमुख/उक्त अधीक्षक/उक्त पोस्टमास्टर को लिखित रूप में वह तारीख पहले से अधिसूचित करने के लिए बाध्य करती है, जिससे ऐसे अन्य मोटर ईंधन का उपयोग किया जाएगा, सरकार अपने विकल्प में या तो इस अनुबंध को तुरंत समाप्त कर सकती है या बोली लगाने वाले(ओं) को ऐसी अवधि के लिए अनुबंध को निष्पादित करने की आवश्यकता कर सकती है, जो उस तारीख से छह महीने की अवधि से अधिक नहीं होगी, जिससे वास्तव में उपयोग किए गए मोटर ईंधन की बढ़ी हुई कीमत के कारण या किसी भी कारण से कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक का दावा किए बिना।

19) कि किसी भी अधिकार या उपाय के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, जो किसी भी पक्ष को यहां निहित प्रावधानों के किसी भी पूर्ववर्ती उल्लंघन के कारण प्राप्त हो सकता है या किसी भी प्रकृति के किसी भी दावे के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, जो किसी भी पक्ष के पास इन प्रस्तुतियों के अनुसरण में दूसरे के खिलाफ हो सकता है, इस अनुबंध को किसी भी समय दोनों में से किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे को, इसे समाप्त करने के अपने इरादे के बारे में दो कैलेंडर महीने की लिखित सूचना देकर समाप्त किया जा सकता है। 20) सरकार की ओर से इन प्रस्तुतियों के अंतर्गत दी जाने वाली कोई भी सूचना, यदि उक्त सर्किल प्रमुख/उक्त अधीक्षक/उक्त डाकपाल/उक्त अधिकारियों के कार्यों, कर्तव्यों और शक्तियों को उस समय सौंपे गए व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित हो तथा बोलीदाता को उसके सामान्य या अंतिम ज्ञात निवास या व्यवसाय स्थान पर पहुंचा दी जाए या पंजीकृत डाक द्वारा भेज दी जाए, तो विधिवत दी गई मानी जाएगी और बोलीदाता की ओर से इसके अंतर्गत दी जाने वाली कोई भी सूचना, यदि सर्किल प्रमुख/अधीक्षक/डाकपाल के कार्यालय को पंजीकृत डाक द्वारा पहुंचा दी जाए या भेज दी जाए, तो पर्याप्त रूप से दी गई मानी जाएगी।

21) बोलीदाता इस करार के प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले मोटर वाहनों के विधिवत लाइसेंसधारी चालक उपलब्ध कराएगा। बोलीदाता ऐसे प्रत्येक चालक का वेतन देगा। ऐसे सभी चालक बोलीदाता के सेवक माने जाएंगे, लेकिन वे इस करार के अंतर्गत बोलीदाता द्वारा की जाने वाली सेवाओं को पूरा करने के प्रयोजन के लिए विधिवत प्राधिकृत डाक अधिकारियों द्वारा उन्हें दिए गए सभी आदेशों और निर्देशों का पालन करेंगे। यदि उक्त सर्किल प्रमुख/उक्त अधीक्षक/उक्त पोस्टमास्टर बोलीदाता को लिखित रूप में यह सूचना दे कि उसके पास किसी चालक के आचरण से असंतुष्ट होने का कारण है, तो बोलीदाता शिकायत प्राप्त होने पर तुरन्त शिकायत किए गए चालक के स्थान पर अनुबंध के प्रयोजनार्थ दूसरा चालक उपलब्ध कराएगा तथा प्रतिस्थापित करेगा।

22) यदि बोलीदाता इस अनुबंध की समाप्ति से पूर्व मर जाता है, तो सरकार अपने विकल्प पर या तो इस अनुबंध को तुरन्त समाप्त कर सकती है या बोलीदाता के उत्तराधिकारियों या अधिकृत प्रतिनिधियों को सरकार द्वारा अपेक्षित छः कैलेंडर माह से अनधिक अवधि के लिए अनुबंध निष्पादित करने के लिए कह सकती है।

- 23) उक्त सर्किल प्रमुख/उक्त अधीक्षक/उक्त पोस्टमास्टर को अपने पूर्ण विवेक से इस अनुबंध के प्रयोजन के लिए बोलीदाता द्वारा उपलब्ध कराए गए या रखे गए किसी भी मोटर वाहन को अस्थायी या स्थायी रूप से अस्वीकार करने तथा बोलीदाता से तदनुसार उपयोग न करने की अपेक्षा करने का अधिकार होगा, जिसे वह उक्त डाक सामग्री और मेल बैग या किसी ऐसे डाक अधिकारी को ले जाने के प्रयोजन के लिए अनुपयुक्त या असुरक्षित समझता हो, भले ही उसे पहले किसी खंड के तहत अनुमोदित किया गया हो और उसके द्वारा की गई ऐसी कोई अस्वीकृति बोलीदाता पर निर्णायक और बाध्यकारी होगी और ऐसी घटनाओं में बोलीदाता तुरंत ऐसे मोटर वाहनों के स्थान पर उसी प्रकार के अनुपयुक्त और असुरक्षित घोषित किए गए अन्य उपयुक्त और सुरक्षित मोटर वाहन प्रतिस्थापित करेगा, यद्यपि आवश्यक नहीं कि वे उसी मेक के हों, लेकिन ऐसे प्रतिस्थापित मोटर वाहन इसके खंड 3 में उल्लिखित प्रस्तुतिकरण और अनुमोदन के अधीन होंगे।
- 24) उक्त अनुबंध अवधि के दौरान बोलीदाता को रु.पैसे के किराए के भुगतान पर उपयोग करने का अधिकार होगा। प्रति माह (*जिसमें पानी और बिजली का शुल्क भी शामिल है) जैसा कि सरकार द्वारा तय किया गया है, सरकार से संबंधित किसी भी भवन के साथ भूमि का भूखंड अनुबंध के निष्पादन में बोलीदाता द्वारा नियोजित मोटर वाहनों के लिए गैरेज के रूप में और उक्त मोटर वाहनों को अच्छे कार्यशील क्रम में रखने के लिए एक कार्यशाला के रूप में और बोलीदाता के खर्च पर होगा, लेकिन इन प्रस्तुतियों में निहित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि बोलीदाता को उक्त परिसर या उसके किसी भाग पर कोई कानूनी हित प्राप्त हो, बल्कि बोलीदाता को केवल इस अनुबंध को निष्पादित करने के उद्देश्य से उक्त परिसर में प्रवेश करने और उसका उपयोग करने का अधिकार होगा और बोलीदाता अनुबंध की समाप्ति या पहले समाप्ति पर उक्त परिसर को अच्छे क्रम में खाली करके छोड़ देगा और कब्जा दे देगा।
- 25) बोलीदाता खंड 24 में उल्लिखित उद्देश्य के लिए उक्त परिसर के बोलीदाता द्वारा उपयोग से उत्पन्न सभी कार्रवाइयों, हानि, लागत, प्रभार, व्यय, मुकदमों, कार्यवाहियों, दावों और मांगों के खिलाफ सरकार को क्षतिपूर्ति देगा और उक्त या किसी भी आसन्न परिसर को सभी हानि या क्षति के लिए सरकार को पूरी तरह से क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति करेगा जो किसी भी कारण से सरकार को हुई हो या जिसमें बोलीदाता द्वारा इसके द्वारा दिए गए अधिकारों और विशेषाधिकारों के प्रयोग या पूर्वोक्त अधिकारों के उपयोग के कारण किसी भी तरह से आग लगना शामिल है, देय मुआवजे की राशि कार्यकारी अभियंता (सिविल), डाक विभाग, भारत सरकार द्वारा लिखित रूप में निर्धारित की जाएगी (पूर्वोक्त विषय के अधीन) उक्त परिसर को किराए पर देने योग्य मरम्मत में रखेगा और बोलीदाता उक्त अनुबंध अवधि की समाप्ति पर उक्त परिसर को सभी फिक्सचर और परिवर्धन के साथ उसी अच्छी स्थिति और हालत में छोड़ देगा जैसा कि वे बोलीदाता के प्रवेश की तिथि पर थे। बोलीदाता उक्त परिसर या उसके किसी भाग पर ऐसा कोई कार्य या बात नहीं करेगा या होने नहीं देगा जिससे पड़ोस में किसी संपत्ति के स्वामियों और अधिभोगियों को परेशानी, उपद्रव या परेशानी हो या हो जाए। बोलीदाता सरकार या उसके एजेंटों या कर्मचारियों (जिनमें हमेशा विभाग के कार्यकारी अभियंता (सिविल) या उसके अधीनस्थ अधिकारी शामिल होंगे) को उक्त परिसर या उसके किसी भाग में उसकी स्थिति देखने के लिए प्रवेश करने की अनुमति देगा।
- 26) जब कभी बोलीदाता के विरुद्ध इस अनुबंध के अंतर्गत या उससे किसी धनराशि के भुगतान का कोई दावा उत्पन्न होता है, तो सरकार बोलीदाता द्वारा जमा की गई प्रतिभूति को आंशिक या पूर्ण रूप से विनियोजित करके ऐसी धनराशि वसूल करने और ऐसी प्रतिभूति का पूर्ण या आंशिक रूप बनाने वाले किसी भी सरकारी वचन पत्र आदि को बेचने का हकदार होगी। यदि प्रतिभूति अपर्याप्त है, तो शेष राशि या वसूली योग्य कुल राशि, जैसा भी मामला हो, किसी भी राशि से काट ली जाएगी जो उस समय देय हो या जो उसके बाद किसी भी समय डाक विभाग में सरकार के साथ इस या किसी अन्य अनुबंध के तहत बोलीदाता को देय हो सकती है। यदि यह राशि वसूली योग्य पूरी राशि को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो बोलीदाता मांग पर तुरंत और बिना किसी आपत्ति के सरकार को शेष बकाया राशि का भुगतान करेगा।

27) इस समझौते या इसके विषय या इस समझौते के तहत या इसके संबंध में पक्षों के संबंधित अधिकारों कर्तव्यों या दायित्वों से संबंधित या किसी भी तरह से उत्पन्न होने वाले सभी विवाद, मतभेद और प्रश्न (जिसके निर्णय के लिए पहले अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है) को मुख्य पोस्टमास्टर जनरल द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति की एकमात्र मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा,। सर्किल में नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जाएगी, या यदि उसका पदनाम बदल दिया जाता है, या उसका पद समाप्त कर दिया जाता है, तो उस अधिकारी द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति की एकमात्र मध्यस्थता के लिए, जिसे अन्य कार्यों के अतिरिक्त या नहीं, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल के कार्य सौंपे गए हैं, चाहे ऐसे अधिकारी को किसी भी पदनाम से पुकारा जाए (जिसे इसके बाद 'उक्त अधिकारी' कहा जाएगा)। ऐसी किसी नियुक्ति पर कोई आपत्ति नहीं होगी कि नियुक्त व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है, उसे उन मामलों से निपटना था जिनसे यह करार संबंधित है और ऐसे सरकारी कर्मचारी के रूप में अपने कर्तव्यों के दौरान उसने विवाद या मतभेद के सभी या किसी भी मामले पर अपने विचार व्यक्त किए थे। ऐसे मध्यस्थ का निर्णय अंतिम होगा और इस करार के पक्षों पर बाध्यकारी होगा। इस करार की यह शर्त है कि ऐसे मध्यस्थ की, जिसके पास मामला मूल रूप से भेजा गया है, स्थानांतरण होने या अपना पद खाली करने या किसी कारण से कार्य करने में असमर्थ होने की स्थिति में, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल या उक्त अधिकारी इस करार की शर्तों के अनुसार मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करेगा। ऐसे व्यक्ति संदर्भ को उसी स्तर से आगे बढ़ाने के हकदार होंगे जिस स्तर पर उसे उनके पूर्ववर्ती द्वारा छोड़ा गया था। मध्यस्थ, समय-समय पर, पक्षों की सहमति से, निर्णय देने और प्रकाशित करने के लिए समय बढ़ा सकता है। जैसा कि पहले कहा गया है, भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 इस खंड के तहत मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होगा।

प्रत्येक और किसी भी संदर्भ पर, जैसा कि पहले कहा गया है, संदर्भ और निर्णय से संबंधित लागतों का आकलन एकमात्र मध्यस्थ के विवेक पर होगा। मध्यस्थता कार्यवाही का स्थान मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय होगा, जो पर होगा या ऐसा कोई अन्य स्थान होगा जिसे एकमात्र मध्यस्थ तय कर सकता है।

गवाहों के हस्ताक्षर
(नाम और पता बड़े अक्षरों में)

1.

2.

बोलीदाता के हस्ताक्षर
हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का पूरा नाम और पता
(बड़े अक्षरों में)
स्वामी/भागीदार/गठित अटॉर्नी/कंपनी द्वारा विधिवत
अधिकृत के रूप में हस्ताक्षर

गवाहों के हस्ताक्षर
(नाम और पता बड़े अक्षरों में)

1.

2.

अध्यक्ष की ओर से अधिकृत अधिकारी का नाम और
हस्ताक्षर

लॉग शीट (परिशिष्ट-17)

कार्यालय _____

एमएमएस नियंत्रण कक्ष दूरभाष सं. _____

बेड़ा सं. _____ का नाम दिनांक _____

चालक के आरंभ में वाहन की निबंधन संख्या

मेल चपरासी _____

अनुसूची का नाम किलोमीटर रीडिंग _____ समापन पर

वैध पीयूसी प्रमाणपत्र की एक समान प्रति

Yes		
No		

यात्रा किए जाने वाले कार्यालय का नाम	वास्तविक आगमन		प्रस्थान		एक्सचेंज क्लर्क के हस्ताक्षर, मुहर के साथ	थैला		टिप्पणी
	घंटा	मिनट	घंटा	मिनट		प्राप्त	भेजा गया	
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)

(यात्रा का अंत)

कुल निर्धारित माइलेज

वास्तविक निर्धारित माइलेज

गैर-निर्धारित यात्रा और डायवर्जन के मामले में उपयोग के लिए

अधिकृत अतिरिक्त माइलेज (छोटी यात्रा के लिए)

वास्तविक अतिरिक्त माइलेज

चालक का हस्ताक्षर	मेल चपरासी का हस्ताक्षर	चेकिंग क्लर्क का हस्ताक्षर
		पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर

अनुलग्नक-VI

पूर्व-अनुबंध सत्यनिष्ठा समझौता

यह पूर्व-बोली पूर्व-अनुबंध समझौता (जिसे आगे सत्यनिष्ठा समझौता कहा जाएगा) 2024 के महीने की तारीख को एक ओर, श्री के माध्यम से कार्य करने वाले भारत के राष्ट्रपति, अधिकारी का पदनाम, मंत्रालय/विभाग, भारत सरकार (जिसे आगे "सेवा उपयोगकर्ता" कहा जाएगा, जिसका अर्थ होगा और इसमें शामिल होगा जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, कार्यालय में उसके उत्तराधिकारी और नियुक्त व्यक्ति) प्रथम भाग के और मैसर्स जिसका प्रतिनिधित्व श्री द्वारा किया जाता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिसे आगे "सेवा प्रदाता/विक्रेता" कहा जाएगा, जिसका अर्थ होगा और इसमें शामिल होगा जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, उसके उत्तराधिकारी और नियुक्त व्यक्ति) द्वितीय भाग के।

चूंकि सेवा उपयोगकर्ता (भंडार/उपकरण/वस्तु का नाम) खरीदने का प्रस्ताव करता है और सेवा प्रदाता/विक्रेता भण्डार की पेशकश करने के लिए तैयार है/कर चुका है; और

चूंकि सेवा प्रदाता एक निजी कंपनी/सार्वजनिक कंपनी/सरकारी उपक्रम/साझेदारी/पंजीकृत निर्यात एजेंसी है, जो मामले में प्रासंगिक कानून के अनुसार गठित की गई है और सेवा उपयोगकर्ता भारत सरकार का एक मंत्रालय/विभाग/पीएसयू है जो भारत के राष्ट्रपति की ओर से अपने कार्यों का निष्पादन करता है।

अब, इसलिए,

भ्रष्टाचार के सभी रूपों से बचने के लिए, एक ऐसी प्रणाली का पालन करना जो निष्पक्ष, पारदर्शी हो और अनुबंध की अवधि से पहले, उसके दौरान और उसके बाद किसी भी प्रभाव/पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार से मुक्त हो, ताकि:

सेवा उपयोगकर्ता को उच्च लागत और सार्वजनिक खरीद पर भ्रष्टाचार के विकृत प्रभाव से बचकर परिभाषित विनिर्देशों के अनुरूप प्रतिस्पर्धी मूल्य पर वांछित स्टोर/उपकरण प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके, और

सेवा प्रदाताओं को अनुबंध को सुरक्षित करने के लिए रिश्वत देने या किसी भी भ्रष्ट व्यवहार में लिप्त होने से दूर रहने में सक्षम बनाया जा सके, उन्हें यह आश्वासन देकर कि उनके प्रतिस्पर्धी भी रिश्वत देने और अन्य भ्रष्ट व्यवहारों से दूर रहेंगे और सेवा उपयोगकर्ता पारदर्शी प्रक्रियाओं का पालन करके अपने अधिकारियों द्वारा किसी भी रूप में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रतिबद्ध होगा।

इसके पक्षकार इस सत्यनिष्ठा समझौते में प्रवेश करने के लिए सहमत हैं और निम्नानुसार सहमत हैं: -

1. सेवा उपयोगकर्ता की प्रतिबद्धताएं

- 1.1 सेवा उपयोगकर्ता वचन देता है कि सेवा उपयोगकर्ता का कोई भी अधिकारी, जो सीधे या परोक्ष रूप से अनुबंध से जुड़ा हुआ है, सीधे या मध्यस्थों के माध्यम से सेवा प्रदाता से बोली प्रक्रिया, बोली मूल्यांकन, अनुबंध या अनुबंध से संबंधित कार्यान्वयन प्रक्रिया में लाभ के बदले में, स्वयं के लिए या अनुबंध से संबंधित किसी व्यक्ति, संगठन या तीसरे पक्ष के लिए कोई रिश्वत, विचार, उपहार, इनाम, एहसान या कोई भौतिक या अभौतिक लाभ या कोई अन्य लाभ नहीं मांगेगा, कोई वादा नहीं करेगा या स्वीकार नहीं करेगा।

1.2 सेवा उपयोगकर्ता, पूर्व-अनुबंध चरण के दौरान, सभी सेवा प्रदाताओं के साथ एक जैसा व्यवहार करेगा, तथा सभी सेवा प्रदाताओं को एक जैसी जानकारी प्रदान करेगा तथा किसी विशेष सेवा प्रदाता को ऐसी कोई जानकारी प्रदान नहीं करेगा जिससे अन्य सेवा प्रदाताओं की तुलना में उस विशेष सेवा प्रदाता को कोई लाभ हो।

1.3 सेवा उपयोगकर्ता के सभी अधिकारी उपर्युक्त प्रतिबद्धताओं के किसी भी प्रयास या उल्लंघन के साथ-साथ ऐसे उल्लंघन के किसी भी पर्याप्त संदेह की रिपोर्ट उपयुक्त सरकारी कार्यालय को देंगे।

2. यदि सेवा प्रदाता द्वारा सेवा उपयोगकर्ता को ऐसे अधिकारियों की ओर से किसी भी तरह के पिछले कदाचार की रिपोर्ट की जाती है, तो पूर्ण और सत्यापन योग्य तथ्य होंगे और सेवा उपयोगकर्ता द्वारा प्रथम दृष्टया सही पाया जाता है, तो सेवा उपयोगकर्ता द्वारा आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही या कोई अन्य कार्रवाई, जिसमें आपराधिक कार्यवाही भी शामिल है, शुरू की जा सकती है और ऐसे व्यक्ति को अनुबंध प्रक्रिया से संबंधित आगे के लेन-देन से वंचित किया जाएगा। ऐसे मामले में जब सेवा उपयोगकर्ता द्वारा जांच की जा रही हो, तो अनुबंध के तहत कार्यवाही रोकी नहीं जाएगी।

3. सेवा प्रदाताओं की प्रतिबद्धताएँ

सेवा प्रदाता अपनी बोली के किसी भी चरण के दौरान या किसी पूर्व-अनुबंध या अनुबंध-पश्चात चरण के दौरान अनुबंध को सुरक्षित करने या इसे सुरक्षित करने के लिए भ्रष्ट आचरण, अनुचित साधनों और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है और विशेष रूप से निम्नलिखित के लिए प्रतिबद्ध है: -

3.1 सेवा प्रदाता बोली प्रक्रिया से सीधे या परोक्ष रूप से जुड़े सेवा उपयोगकर्ता के किसी भी अधिकारी को, या अनुबंध से संबंधित किसी भी व्यक्ति, संगठन या तीसरे पक्ष को बोली, मूल्यांकन अनुबंध और अनुबंध के कार्यान्वयन में किसी भी लाभ के बदले में सीधे या मध्यस्थों के माध्यम से कोई रिश्वत, उपहार, विचार, इनाम, एहसान, कोई भौतिक या अभौतिक लाभ या अन्य लाभ, कमीशन, शुल्क, ब्रोकरेज या प्रलोभन नहीं देगा।

3.2 सेवा प्रदाता यह भी वचन देता है कि उसने अनुबंध प्राप्त करने या अनुबंध प्राप्त करने या निष्पादित करने के संबंध में किसी भी व्यक्ति के प्रति पक्षपात या अप्रसन्नता दिखाने या करने से परहेज करने के लिए सेवा उपयोगकर्ता के किसी भी अधिकारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई रिश्वत, उपहार, प्रतिफल, उपकार, कोई भौतिक या अभौतिक लाभ या अन्य लाभ, कमीशन, फीस, दलाली या प्रलोभन नहीं दिया है, देने का वादा नहीं किया है।

3.3* सेवा प्रदाता एजेंटों और प्रतिनिधियों के नाम और पते का खुलासा करेंगे और भारतीय सेवा प्रदाता अपने विदेशी प्रिंसिपलों या सहयोगियों का खुलासा करेंगे।

3.4* सेवा प्रदाता इस बोली/अनुबंध के संबंध में एजेंटों/दलालों या किसी अन्य मध्यस्थ को उनके द्वारा किए जाने वाले भुगतान का खुलासा करेंगे।

3.5* सेवा प्रदाता सेवा उपयोगकर्ता के समक्ष यह भी पुष्टि और घोषणा करता है कि सेवा प्रदाता रक्षा भंडार का मूल निर्माता/एकीकृतकर्ता/अधिकृत सरकारी प्रायोजित निर्यात इकाई है और उसने सेवा प्रदाता को अनुबंध प्रदान करने के लिए आधिकारिक या अनाधिकारिक रूप से सेवा उपयोगकर्ता या उसके किसी भी पदाधिकारी को हस्तक्षेप करने, सुविधा प्रदान करने या किसी भी तरह से सिफारिश करने के लिए किसी भी

व्यक्ति या फर्म या कंपनी को नियुक्त नहीं किया है, चाहे वह भारतीय हो या विदेशी, न ही किसी को कोई राशि का भुगतान किया गया है, भुगतान का वादा किया गया है या भुगतान करने का इरादा है। ऐसे किसी व्यक्ति, फर्म या कंपनी को किसी ऐसे हस्तक्षेप, सुविधा या सिफारिश के संबंध में।

- 3.6 सेवा प्रदाता, बोली प्रस्तुत करते समय या अनुबंध-पूर्व वार्ता के दौरान या अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले, अनुबंध के संबंध में सेवा उपयोगकर्ता के अधिकारियों या उनके परिवार के सदस्यों, एजेंटों, दलालों या किसी अन्य मध्यस्थों को किए गए किसी भी भुगतान का खुलासा करेगा, प्रतिबद्ध है या करने का इरादा रखता है और ऐसे भुगतानों के लिए सहमत सेवाओं का विवरण देगा।
- 3.7 सेवा प्रदाता बोली प्रक्रिया, बोली मूल्यांकन, अनुबंध और अनुबंध के कार्यान्वयन की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए अनुबंध में रुचि रखने वाले अन्य पक्षों के साथ मिलीभगत नहीं करेगा।
- 3.8 सेवा प्रदाता किसी भी भ्रष्ट व्यवहार, अनुचित साधनों और अवैध गतिविधियों के बदले में कोई लाभ स्वीकार नहीं करेगा।
- 3.9 सेवा प्रदाता, प्रतिस्पर्धा या व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से, या किसी अन्य को, व्यवसाय संबंध के भाग के रूप में सेवा उपयोगकर्ता द्वारा प्रदान की गई किसी भी जानकारी का अनुचित तरीके से उपयोग नहीं करेगा, योजनाओं, तकनीकी प्रस्तावों और व्यवसाय विवरणों के बारे में, जिसमें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा वाहक में निहित जानकारी शामिल है। सेवा प्रदाता उचित और पर्याप्त सावधानी बरतने का भी वचन देता है, ताकि कोई भी जानकारी उजागर न हो।
- 3.10 सेवा प्रदाता पूर्ण और सत्यापन योग्य तथ्यों के समर्थन के बिना सीधे या किसी अन्य तरीके से कोई भी शिकायत देने से परहेज करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- 3.11 सेवा प्रदाता किसी तीसरे व्यक्ति को ऊपर वर्णित किसी भी कार्य को करने के लिए उकसाएगा या उकसाने का कारण नहीं बनेगा।
- 3.12 यदि सेवा प्रदाता या सेवा प्रदाता का कोई कर्मचारी या सेवा प्रदाता की ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, सेवा उपयोगकर्ता के किसी अधिकारी का रिश्तेदार है, या वैकल्पिक रूप से, यदि सेवा उपयोगकर्ता के किसी अधिकारी का कोई रिश्तेदार सेवा प्रदाता की फर्म में वित्तीय हित/हिस्सेदारी रखता है; तो निविदा दाखिल करते समय सेवा प्रदाता द्वारा इसका खुलासा किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए 'रिश्तेदार' शब्द कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 6 में परिभाषित किया जाएगा।
- 3.13 सेवा प्रदाता सेवा उपयोगकर्ता के किसी भी कर्मचारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई पैसा उधार नहीं देगा या उधार नहीं लेगा या उसके साथ कोई मौद्रिक लेन-देन या लेनदेन नहीं करेगा। 4. पिछला उल्लंघन
- 4.1 सेवा प्रदाता यह घोषणा करता है कि इस सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर करने से ठीक पहले पिछले तीन वर्षों में किसी भी देश में किसी अन्य कंपनी के साथ या भारत में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम या भारत में किसी सरकारी विभाग के साथ इस समझौते के अंतर्गत परिकल्पित किसी भी भ्रष्ट आचरण के संबंध में कोई भी पिछला उल्लंघन नहीं हुआ है, जो सेवा प्रदाता को निविदा प्रक्रिया से बाहर रखने का औचित्य सिद्ध कर सके।

- 4.2 सेवा प्रदाता इस बात से सहमत है कि यदि वह इस विषय पर कोई गलत बयान देता है, तो सेवा प्रदाता को निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित किया जा सकता है या यदि अनुबंध पहले ही दिया जा चुका है, तो ऐसे कारण से उसे समाप्त किया जा सकता है।

5. बयाना राशि (सुरक्षा जमा)

- 5.1 वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करते समय, सेवा प्रदाता निम्नलिखित में से किसी भी साधन के माध्यम से सेवा उपयोगकर्ता के पास बयाना राशि/सुरक्षा जमा के रूप में _____ (आरएफपी में निर्दिष्ट की जाएगी) जमा करेगा:

- (i) बैंक ड्राफ्ट या भुगतान आदेश के पक्ष में
- (ii) किसी भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा पुष्टि की गई गारंटी, जिसमें बिना किसी आपत्ति के और बिना कोई कारण पूछे तीन कार्य दिवसों के भीतर सेवा उपयोगकर्ता को गारंटीकृत राशि का भुगतान करने का वादा किया गया हो। सेवा उपयोगकर्ता द्वारा भुगतान की मांग को भुगतान का निर्णायक प्रमाण माना जाएगा।
- (iii) किसी अन्य तरीके से या किसी अन्य साधन के माध्यम से (आरएफपी में निर्दिष्ट की जाएगी)।

- 5.2 सुरक्षा जमा पांच वर्ष की अवधि तक या सेवा प्रदाता और सेवा उपयोगकर्ता दोनों की पूर्ण संतुष्टि के लिए संविदात्मक दायित्वों के पूर्ण समापन तक वैध होगी, जिसमें वारंटी अवधि भी शामिल है, जो भी बाद में हो।

- 5.3 सफल सेवा प्रदाता के मामले में क्रय अनुबंध में निष्पादन बांड से संबंधित अनुच्छेद में एक खंड भी शामिल किया जाएगा कि उल्लंघन के लिए प्रतिबंधों के प्रावधान, इस समझौते के उल्लंघन के लिए प्रतिबंध लगाने का कोई कारण बताए बिना सेवा उपयोगकर्ता द्वारा इसे जब्त करने के निर्णय के मामले में निष्पादन बांड की जब्ती के लिए लागू होंगे।

- 5.4 सेवा उपयोगकर्ता द्वारा सेवा प्रदाता को बयाना राशि/सुरक्षा जमा पर इसकी अवधि के लिए कोई ब्याज देय नहीं होगा।

6. उल्लंघन के लिए मंजूरी

- 6.1 सेवा प्रदाता या उसके द्वारा नियुक्त या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति (चाहे सेवा प्रदाता की जानकारी में हो या न हो) द्वारा उपरोक्त प्रावधानों का कोई भी उल्लंघन सेवा उपयोगकर्ता को, जहाँ भी आवश्यक हो, निम्नलिखित सभी या इनमें से कोई भी एक कार्रवाई करने का अधिकार देगा: -

- (i) सेवा प्रदाता को कोई कारण बताए या कोई मुआवजा दिए बिना अनुबंध-पूर्व वार्ता को तुरंत रद्द करना। हालाँकि, अन्य सेवा प्रदाता(ओं) के साथ कार्यवाही जारी रहेगी।
- (ii) बयाना राशि जमा (अनुबंध-पूर्व चरण में) और/या सुरक्षा जमा/निष्पादन बांड (अनुबंध पर हस्ताक्षर किए के बाद) पूरी तरह या आंशिक रूप से जब्त हो जाएगा, जैसा कि सेवा उपयोगकर्ता द्वारा तय किया जाएगा और सेवा उपयोगकर्ता को इसके लिए कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं होगी।

- (iii) सेवा प्रदाता को कोई मुआवजा दिए बिना, यदि पहले से ही अनुबंध पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, तो उसे तुरंत रद्द करना।
 - (iv) सेवा उपयोगकर्ता द्वारा पहले से भुगतान की गई सभी राशियों को वसूलना, तथा भारतीय सेवा प्रदाता के मामले में भारतीय स्टेट बैंक की प्रचलित प्राइम लेंडिंग दर से 2% अधिक ब्याज के साथ, जबकि भारत के अलावा किसी अन्य देश के सेवा प्रदाता के मामले में एल.आई.बी.ओ.आर. से 2% अधिक ब्याज के साथ।
यदि किसी अन्य स्टोर के लिए किसी अन्य अनुबंध के संबंध में सेवा उपयोगकर्ता से सेवा प्रदाता को कोई बकाया भुगतान देय है, तो ऐसे बकाया भुगतान का उपयोग उपरोक्त राशि और ब्याज की वसूली के लिए भी किया जा सकता है।
 - (iv) यदि सेवा प्रदाता द्वारा अग्रिम बैंक गारंटी और प्रदर्शन बांड/वारंटी बांड दिया गया हो, तो उसे भुनाना, ताकि सेवा उपयोगकर्ता द्वारा पहले से किए गए भुगतान को ब्याज सहित वसूला जा सके।
 - (v) सेवा प्रदाता के साथ सभी या किसी अन्य अनुबंध को रद्द करना। सेवा प्रदाता ऐसे रद्दीकरण/निरसन के परिणामस्वरूप सेवा उपयोगकर्ता को होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के लिए मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होगा और सेवा उपयोगकर्ता सेवा प्रदाता को देय धनराशि से इस प्रकार देय राशि काटने का हकदार होगा।
 - (vi) सेवा प्रदाता को भारत सरकार की भविष्य की बोली प्रक्रियाओं में कम से कम पाँच वर्षों की अवधि के लिए भाग लेने से रोकना, जिसे सेवा उपयोगकर्ता के विवेक पर आगे बढ़ाया जा सकता है।
 - (vii) अनुबंध को सुरक्षित करने के उद्देश्य से सेवा प्रदाता(ओं) द्वारा किसी भी बिचौलिए या एजेंट या दलाल को इस समझौते के उल्लंघन में भुगतान की गई सभी राशियों को वसूलना।
 - (viii) ऐसे मामलों में जहां सेवा उपयोगकर्ता द्वारा सेवा प्रदाता के साथ हस्ताक्षरित किसी अनुबंध के संबंध में अपरिवर्तनीय साख पत्र प्राप्त हुए हैं, उन्हें नहीं खोला जाएगा।
 - (ix) इस समझौते के उल्लंघन के लिए मंजूरी लगाने का कोई कारण बताए बिना सेवा उपयोगकर्ता द्वारा इसे करने के निर्णय के मामले में प्रदर्शन बांड की जब्ती।
- 6.2 सेवा उपयोगकर्ता इस समझौते के पैरा 6.1 (i) से (x) में उल्लिखित सभी या किसी भी कार्रवाई को करने का हकदार होगा, सेवा प्रदाता या उसके द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति (चाहे सेवा प्रदाता के ज्ञान के साथ या उसके बिना) द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 के अध्याय IX भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 या भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए अधिनियमित किसी अन्य कानून में परिभाषित किसी अपराध के कमीशन पर भी।
- 6.3 सेवा प्रदाता द्वारा इस संधि के प्रावधानों का उल्लंघन किए जाने के बारे में सेवा उपयोगकर्ता का निर्णय सेवा प्रदाता पर अंतिम और निर्णायक होगा। हालाँकि, सेवा प्रदाता इस संधि के प्रयोजनों के लिए नियुक्त स्वतंत्र मॉनिटर(ओं)से संपर्क कर सकता है।

7. पतन खंड

- 7.1 सेवा प्रदाता यह वचन देता है कि उसने भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय/विभाग या पीएसयू के संबंध में वर्तमान बोली में प्रस्तावित मूल्य से कम मूल्य पर समान उत्पाद/प्रणाली या उप-प्रणाली की आपूर्ति नहीं की है/नहीं कर रहा है और किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि सेवा प्रदाता द्वारा भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय/विभाग या पीएसयू को कम मूल्य पर समान उत्पाद/प्रणाली या उप-प्रणाली की आपूर्ति की गई थी, तो वही मूल्य, बीते समय के लिए उचित भत्ते के साथ, वर्तमान मामले पर लागू होगा और लागत में अंतर सेवा प्रदाता द्वारा सेवा उपयोगकर्ता को वापस कर दिया जाएगा, यदि अनुबंध पहले ही संपन्न हो चुका है।

8. स्वतंत्र मॉनिटर

- 8.1 सेवा उपयोगकर्ता ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (मॉनीटरों के नाम और पते दिए जाने हैं) के परामर्श से इस समझौते के लिए स्वतंत्र मॉनिटर (जिन्हें आगे मॉनिटर कहा जाएगा) नियुक्त किए हैं।
- 8.2 मॉनिटरों का कार्य स्वतंत्र और वस्तुनिष्ठ रूप से यह समीक्षा करना होगा कि क्या और किस सीमा तक पक्षकार इस संधि के अंतर्गत दायित्वों का अनुपालन करते हैं।
- 8.3 मॉनिटर पक्षों के प्रतिनिधियों के निर्देशों के अधीन नहीं होंगे और अपने कार्यों को तटस्थ और स्वतंत्र रूप से निष्पादित करेंगे।
- 8.4 दोनों पक्ष स्वीकार करते हैं कि मॉनिटर को परियोजना/खरीद से संबंधित सभी दस्तावेजों तक पहुंचने का अधिकार है, जिसमें बैठकों के मिनट भी शामिल हैं।
- 8.5 जैसे ही मॉनिटर को इस समझौते का उल्लंघन नज़र आता है या उसे ऐसा मानने का कारण होता है, तो वह सेवा उपयोगकर्ता द्वारा नामित प्राधिकरण को इसकी सूचना देगा।
- 8.6 सेवा प्रदाता स्वीकार करता है कि मॉनिटर को सेवा उपयोगकर्ता के सभी परियोजना दस्तावेजों तक बिना किसी प्रतिबंध के पहुंचने का अधिकार है, जिसमें सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेज भी शामिल हैं। सेवा प्रदाता मॉनिटर को उसके अनुरोध और वैध रुचि के प्रदर्शन पर, उसके परियोजना दस्तावेजों तक अप्रतिबंधित और बिना शर्त पहुंच भी प्रदान करेगा। यही बात उपठेकेदारों पर भी लागू होती है। मॉनिटर सेवा प्रदाता/उपठेकेदारों की जानकारी और दस्तावेजों को गोपनीयता के साथ रखने के लिए अनुबंधात्मक दायित्व के तहत होगा।
- 8.7 सेवा उपयोगकर्ता मॉनिटर को परियोजना से संबंधित पक्षों के बीच सभी बैठकों के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदान करेगा, बशर्ते कि ऐसी बैठकों का पक्षों के बीच संविदात्मक संबंधों पर प्रभाव पड़ सकता हो। पक्ष मॉनिटर को ऐसी बैठकों में भाग लेने का विकल्प प्रदान करेंगे।
- 8.8 मॉनिटर सेवा उपयोगकर्ता/सेवा प्रदाता द्वारा संदर्भ या सूचना की तिथि से 8 से 10 सप्ताह के भीतर विभाग में सेवा उपयोगकर्ता/सचिव के नामित प्राधिकारी को एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और, यदि अवसर आए, तो समस्याग्रस्त स्थितियों को ठीक करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

9. जांच की सुविधा इस संधि के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन या कमीशन के भुगतान के किसी भी आरोप के मामले में, सेवा उपयोगकर्ता या उसकी एजेंसियां सेवा प्रदाता की खाता बही सहित सभी दस्तावेजों की जांच करने की हकदार होंगी और सेवा प्रदाता अंग्रेजी में आवश्यक जानकारी और दस्तावेज प्रदान करेगा और ऐसी जांच के उद्देश्य के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगा।

10. कानून और अधिकार क्षेत्र का स्थान

यह समझौता भारतीय कानून के अधीन है। निष्पादन और अधिकार क्षेत्र का स्थान सेवा उपयोगकर्ता का स्थान है।

11. अन्य कानूनी कार्रवाई

इस सत्यनिष्ठा समझौते में निर्धारित कार्रवाई किसी भी अन्य कानूनी कार्रवाई के प्रति पूर्वाग्रह के बिना है जो किसी भी सिविल या आपराधिक कार्यवाही से संबंधित मौजूदा कानून के प्रावधानों के अनुसार हो सकती है।

12. वैधता

- 12.1 इस सत्यनिष्ठा समझौते की वैधता इसके हस्ताक्षर की तारीख से होगी और 5 साल तक या सेवा उपयोगकर्ता और सेवा प्रदाता/विक्रेता दोनों की संतुष्टि के लिए अनुबंध के पूर्ण निष्पादन तक, वारंटी अवधि सहित, जो भी बाद में हो, तक विस्तारित होगी। यदि सेवा प्रदाता असफल होता है, तो यह सत्यनिष्ठा समझौता अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तारीख से छह महीने के बाद समाप्त हो जाएगा।
- 12.2 यदि इस संधि के एक या कई प्रावधान अमान्य हो जाते हैं, तो इस संधि का शेष भाग वैध रहेगा। इस मामले में, पक्ष अपने मूल इरादों पर सहमति बनाने का प्रयास करेंगे।

13. पक्ष इस सत्यनिष्ठा संधि पर को पर हस्ताक्षर करते हैं।

सेवा उपयोगकर्ता

सेवा प्रदाता

अधिकारी का नाम

पदनाम

विभाग/मंत्रालय/पीएसयू सेवा प्रदाता

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

गवाह

गवाह

1.

1.

2.

2.

• विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के भारतीय एजेंटों की भागीदारी के संबंध में सेवा उपयोगकर्ता की नीति के अनुरूप इन खंडों के प्रावधानों को संशोधित/हटाया जाना आवश्यक होगा।